Jharkhand Academic Council, Ranchi

2004

(01.01.2004– 31.12.2004

Proceeding of Meetings of Council

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की बैठक
2004

Index

क्रम सं०	बैठक का नाम	दिनांक	पेज नं०
01	परीक्षा समिति	17.01.2004	04–05
02.	स्थापना समिति	22.01.2004	06–07
03.	परीक्षा समिति	04.02.2004	08–08
04.	तृतीय परिषद बैठक के कार्यवाही की छायाप्रति	11.02.2004	09–14
05.	परिषद् कार्यालय के लिए कर्मचारियों के पद सृजन हेतु परिषद सदस्यों की गठित समिति की बैठक की कार्यवाही	19.02.2004	15–17
06.	परीक्षा समिति	14.03.2004	18–20
07.	पाठ्यक्रम समिति	21.03.2004	21–22
08.	वित्त समिति	29.03.2004	23–26
09.	परीक्षा समिति	03.04.2004	27–28
10.	चतुर्थ परिषद् बैठक	13.04.2004	29–33
11.	परीक्षा समिति	24.04.2004	34–34
12.	प्रस्वीकृति समिति	18.05.2004	35–35
13.	परीक्षा समिति	31.05.2004	36–36
14.	पंचम परिषद् बैठक	05.06.2004	37–40
15.	परीक्षा समिति	18.06.2004	41–41
16.	पाठ्यक्रम समिति	18.06.2004	42–45

17.	षष्टम् परिषद् बैठक	09.07.2004	46–46
18.	पाठ्यक्रम समिति	20.07.2004	47–48
19.	साप्तम् परिषद् बैठक	20.07.2004	49–51
20.	अष्टम परिषद् बैठक	04.08.2004	52–56
21.	पाठ्यक्रम समिति	17.08.2004	57–58
22.	परीक्षा समिति	24.08.2004	59–60
23.	नवम् परिषद् बैठक	13.09.2004	61–71
24.	दशम् परिषद् बैठक	28.09.2004	72–80
25.	परीक्षा समिति	05.10.2004	81–82
26.	प्रस्वीकृति समिति	04.10.2004	83–88
27.	पाठ्यक्रम समिति	03.11.2004	89–90
28.	कम्प्यूटर विषय के संचालन के लिए नीति निर्धारिण हेतु बैठक की कार्यवाही	25.11.2004	91–92
29.	वित्त समिति	01.12.2004	93–99
30.	परीक्षा समिति	03.12.2004	100–100
31.	सेवा परिनियम बैठक	14.12.2004	101–101
32.	एकदश परिषद् बैठक	16.12.2004	102–113
33	वित्त समिति	20.12.2004	114–115
34	परीक्षा समिति	23.12.2004	116–117
35	प्रस्वीकृति समिति	13.01.2004	118–121

Price Rs. 100

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 17.01.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 17.01.2004 आपराह्न 12.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की बैठ हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः–

1. **उपस्थिति**

   1) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
      अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

   2) प्रो० आर० बी० सिंह – सदस्य
      रसायनशास्त्र विभाग, पी० के० राय० मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

   3) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
      वाणिज्य विभाग, के० एम० पी० एम० महाविद्यालय, जमशेदपुर

   4) श्री फूल सिंह – सदस्य
      प्रधानाचार्य, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, धनबाद

   5) प्रो० एम० एस० खॉ – विशेष आमंत्रित सदस्य
      उर्दू विभाग, पी० के० राय मेमोरियल महाविद्यालय, धनबाद

2. समिति के समक्ष दिनांक 20.12.2003 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा पढ़कर सुनाया गया। जिसे समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

3. समिति के समक्ष मदरसा परीक्षा, 2003 के केन्द्र निर्धारण का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

   समिति द्वारा विचारोपरांत विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित केन्द्र निर्धारण का प्रस्ताव के अनुसार केन्द्र निर्धारण करने की सहमति दी गयी।

4. समिति के समक्ष मदरसा परीक्षा का कार्यक्रम अनुमोदित करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

मदरसा परीक्षा दिनांक 14.2.2004 से 22.2.2004 तक संचालित करने की दृष्टिकोण परीक्षा कार्यक्रम बनाया गया। समिति ने प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा संचालन करने की सहमति दी।

5. समिति के समक्ष माध्यमिक परीक्षा, 2004 के कार्यक्रम अनुमोदन का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। यह परीक्षा दिनांक 25.02.2004 से 10.3.2004 तक संचालित होनेवाली है।

विचारोपरांत समिति ने प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम को अनुमोदित किया।

समिति के समक्ष इंटरमीडिएट परीक्षा, 2004 के कार्यक्रम का अनुमोदन का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। यह परीक्षा दिनांक 11.3.2004 से 15.5.2004 तक संचालित होने वाली है।

समिति के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में एक संशोधन दिनांक 18.03. 2004 के द्वितीय पाली में ट्रेड विषय के स्थान पर बुक किपिंग एण्ड एकाउंटेंसी एवं 28.03.2004 को द्वितीय पाली में बुक किपिंग एवं काउंटेंसी के स्थान पर ट्रेड की परीक्षा लेने के संशोधन के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के स्थापना समिति की दिनांक 22.01.2004 के बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 22.01.2004 परिषद् की स्थापना कमिटि की बैठक डॉ० शालिग्राम यादव, अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. **उपस्थिति**

क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
सांसद, लोहरदग्गा

ग) प्रो० आर० बी० सिंह – सदस्य
रसायनशास्त्र विभाग, पी० के० राय० मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

घ) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
वाणिज्य विभाग, के० एम० पी० एम० महाविद्यालय, जमशेदपुर

ङ) प्रो० एम० एस० खॉ, – सदस्य
रीडर उर्दू विभाग, पी० के० राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

2. समिति के समक्ष स्थापना समिति की बैठक दिनांक 24.10.2003 की कार्यवाही पढ़कर सुनाया गया जिसे समिति द्वारा संपुष्ट किया गया।

3. समिति के समक्ष लेखा शाखा और सामान्य शाखा के लिए अनुभवी सेवानिवृत कर्मचारियों को संविदा के आधार पर कार्य लेने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति को बताया गया कि अखौरी मोहन प्रसद जो महालेखाकार कार्यालय के सेवानिवृत प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी ग्रेड-I हैं और पूर्व में भी वे विघटित झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् कार्यालय में इनसे लेखा का कार्य लिया गया है, उनहें तत्काल छः माह के लिए झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के लेखा प्रशाखा के कार्य को संधारित करने और लेखा संधारण की मूल–भूत संरचना तैयार करने के लिए संविदा के आधार पर सेवा ली जाय। उसी प्रकार समिति को बताया गया कि श्री गगन देव गिरि जो पूर्व में राँची विश्वविद्यालय में सिनियर औडिटर थे की भी सेवा बजट आदि के निर्माण हेतु छः माह के लिए संविदा के आधार पर रखी जाय। समिति को यह भी बताया गया कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् नवसृजित संस्थान है और इसके लिए पूरे देश में मान्यता और इसकी सुव्यवस्थित स्थापना करने हेतु

कार्य करनी है इसके लिए एक शैक्षणिक रूप से दक्ष सेवानिवृत कर्मचारी की सेवा लेना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। समिति को बताया गया कि अवकाश प्राप्त प्रशाखा पदाधिकारी श्री जे० एन० चौधरी, राँची विश्वविद्यालय में इस तरह का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें भी तत्काल छः माह के लिए संविदा के आधार पर सेवा में रखी जाय।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि परिषद् के कार्यहित को ध्यान में रखते हुए और परिषद् में दक्ष कर्मी की कमी को देखते हुए उनकी सेवा तत्काल संविदा के आधार पर छः माह के लिए ली जाय।

4. समिति के समक्ष परिषद् में एक कम्प्यूटर सेल की स्थापना का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि कार्य में दक्षता लाने हेतु एक कम्प्यूटर सेल का निर्माण किया जाय।

5. समिति के समक्ष विघटित इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् में कार्यरत आकस्मिक (तदर्थ) कर्मचारियों जिनकी सेवा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में भी ली जा रही है, के सेवा नियमन करने के संबंध में विचार करने हेतु प्रस्ताव रखा गया।

समिति को बताया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से भी उन कर्मचारियों की सेवा नियमन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए परिषद् को पत्र प्राप्त हुआ है। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूँकि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् में अभी तक कर्मचारियों का पद सृजित नहीं हो पाया है, इसलिए परिषद् के कार्य हेतु पद सृजन के पश्चात इन आकस्मिक (तदर्थ) कर्मचारियों की सेवा नियमन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

6. समिति के समक्ष झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के न्यायिक संबंधी कार्य के लिए अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत निम्नांकित अधिवक्ताओं को परिषद् के पैनल में रखने का निर्णय लिया गयाः–

(1) श्री केशव नन्दन प्रसाद, वरीय अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची आवास – 258 रोड नं० 1/सी अशोक नगर, राँची
(2) श्री सौरभ अरूण, अधिवक्ता – अरूणोदय, हरिहर सिंह रोड, मोराबादी, राँची।
(3) श्री दीपक रौशन–अधिवक्ता, कार्यालय ए–17, लायर्स चेम्बर, दूसरी मंजिल, उच्च न्यायालय परिसर, राँची।
(4) श्रीमती बन्दना सिंह, सी०/66 हरमु हाऊसिंग कॉलोनी, झारखण्ड, राँची

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वरीय अधिवक्ता श्री केशव नन्दन को बहस करने पर प्रति केश 3,500/– (तीन हजार पाँच सौ रुपये) एवं विधि परामर्श के 1,600/– (एक हजार छः सौ रुपये) एवं कनीय अधिवक्ता को उक्त कार्य के लिए 1,000/– (एक हजार रुपये) एवं 500/– (पाँच सौ रुपये) भुगतान किया जाय।

हा/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 04.02.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 04.02.2004 को अपराह्न 1.00 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः–

1. **उपस्थिति**

क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ख) प्रो० आर० बी० सिंह – सदस्य
रसायनशास्त्र विभाग, पी० के० राय० मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

ग) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
वाणिज्य विभाग, के० एम० पी० एम० महाविद्यालय, जमशेदपुर

घ) श्री फूल सिंह – सदस्य
प्रधानाचार्य, राज कमल सरस्वती विद्या मंदिर, धनबाद

2. समिति के समक्ष दिनांक 17.01.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा पढ़कर सुनाया गया कि जिसे समिति ने सर्वसम्मति से संपुष्ट किया।

3. समिति के समक्ष इंटरमीडिएट परीक्षा, 2004 के केन्द्र का चयन तथा उसके साथ विभिन्न महाविद्यालयों की संबद्धता का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति ने विचारोपरांत इंटर परीक्षा, 2004 के परीक्षा केन्द्र जो जिला उपायुक्तों से प्राप्त हुआ है एवं उसके साथ विभिन्न महाविद्यालयों का ट्रेंनिंग जिसका निर्माण परिषद् कार्यालय द्वारा किया गया था, को अनुमोदित किया गया।

4. समिति के समक्ष इंटर परीक्षा, 2004 के परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

5. समिति के समक्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2004 के परीक्षा कार्यक्रम में संशोधित माध्यमिक शिक्षक संघ के मांग के अनुसार करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माध्यमिक परीक्षा 25 फरवरी, 2004 से होना निश्चित है। अब कार्यक्रम में किसी प्रकार का संशोधन उचित नहीं होगा। इसलिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा ली जाय।

हा/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 11.02.2004 को हुई तृतीय बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 11.02.2004 को अपराह्न 12.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. **उपस्थिति**

क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
माननीय सांसद, लोहरदग्गा

ग) निदेशक माध्यमिक शिक्षा –पदेन सदस्य
झारखण्ड, राँची

घ) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
वाणिज्य विभाग, के० एम० पी० एम० इंटर महाविद्यालय, जमशेदपुर

ङ) प्रो० आर० बी० सिंह – सदस्य
रसायनशास्त्र विभाग, पी० के० राय० मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

च) डॉ० तारा कान्त शुक्ल – सदस्य
संस्कृत विभाग, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

छ) प्रो० एम० एस० खान – सदस्य
रीडर, उर्दू विभाग, पी० के० राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

त) श्री फूल सिंह – सदस्य
प्रधानाचार्य, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, धनबाद

झ) डॉ० के० सी० प्रसाद – सदस्य
गणित विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

ञ) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, आवादगंज, डाल्टनगंज

च) श्री केशव हडोदिया – चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
हडोदिया अग्रवाल शर्मा एण्ड कम्पनी, शास्त्रीनगर, धनबाद

2. परिषद् की दिनांक 20.10.2003 को हुई बैठक की कार्यवाही श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के द्वारा पढ़ा गया, जिसकी संपुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ किया गया।

क) दिनांक 20.10.2003 के परिषद् के बैठक के द्वारा गठित किया गया स्थापना समिति को भंग कर लिया जाय एवं प्रस्वीकृति समिति में पूर्व के मनोनित सदस्यों के अलावे श्री फूल सिंह एवं श्री दिनेशानन्द गोस्वामी को भी सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय।

ख) परीक्षा समिति के पूर्व के मनोनित सदस्यों के अलावे डॉ० ताराकान्त शुक्ला और प्रो० एम० एस० खान को भी सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय।

ग) पाठ्यक्रम समिति में पूर्व मनोनित सदस्यों के अलावे प्रो० दुखा भगत को सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय।

3. परिषद् के समक्ष परिषद् के विभिन्न समितियों की कार्यवाही अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया गया।

क) विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.02.2004, 17.01.2004, 20.12.2003, 09.12.2003 में लिये गये सभी निर्णयों को अनुमोदित किया जाय एवं तदनुसार कार्यवाही की जाय।

ख) प्रस्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2004 में किये गये अनुशंसा को अनुमोदित करने का भी निर्णय लिया गया और प्रस्वीकृति समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।

ग) पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 22.12.2003 में लिये गये निर्णय के अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया एवं उसके अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।

घ) वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.12.2003 में लिये गये निर्णय का भी अनुमोदन किया गया एवं तदनुरूप कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

ङ) परिषद् की स्थापना समिति की बैठक दिनांक 22.01.2004 एवं 24.10.2003 में लिये गये निर्णय को भी अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया, तदनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

4. परिषद् के समक्ष कार्यालय के वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के कर्मचारियों का पद सृजन का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूँकि पद सृजन के संबंध में परिषद्, के आय–व्यय का आकलन एवं परिषद् की आवश्यकताओं का सही आकलन करना आवश्यक है। इसलिए इस कार्य हेतु परिषद्, के सदस्यों की एक समिति गठित की जाय और यथाषीघ्र पद सृजन के संबंध में अनुशंसा अध्यक्ष को समर्पित करेंगे। उक्त समिति में निम्नांकित सदस्य मनोनित किये गये–

1) डॉ० के० सी० प्रसाद
2) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी
3) डॉ० आर० बी० सिंह
4) श्री केशव हड़ोदिया
5) प्रो० दुखा भगत

इस समिति के संयोजक के रूप में विशेष कार्य पदाधिकारी श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी और श्रीमती आभा कुसुम तिर्की कार्य करेंगे। इस समिति की बैठक दिनांक 19.02.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में आहूत करने का भी निर्णय लिया गया।

5. परिषद् के समक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उन्हें अनिवार्य भाषा एवं साहित्य के रूप में सत्र 2003–2005 से लागू करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। परिषद् को बताया गया कि इंटर स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए निम्नलिखित पाँच भाषा और साहित्य अनिवार्य तौर पर पाठ्यक्रम में रखे गये हैंः– (1) हिदी भाषा एवं साहित्य, (2) अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य, (3) उर्दू भाषा एवं साहित्य (4) बंगला भाषा एवं साहित्य, एवं (5) उड़िया भाषा एवं साहित्य।

अन्य भाषा और साहित्य को (संस्कृत, अरबी, परसियन, पाली, प्राकृत, मैथिली, भोजपुरी, मगही, नेपाली, संथली, मुंडारी, कुरूख, नागपुरी, खड़िया, कुरमाली, हो, खोरठा, पंच परगनिया) मात्र एच्छिक विषय के रूप में कला संकाय में अध्यापन और परीक्षा का प्रावधान है। इसलिए विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्र साहित्य के रूप में नवसृजित राज्य झारखण्ड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन से वंचित रह जाते हैं। तीनों संकाय के छात्र/छात्राओं पांच अनिवार्य भाषा साहित्य के विषय के साथ–साथ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य भाषा एवं साहित्य के रूप में इच्छुक छात्र अध्ययन कर सके, यह प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि पाँच अनिवार्य भाषा एवं साहित्य के अलावे तीनों संकाय के छात्र/छात्राओं को जनजातीय एवं क्षेत्रीय

भाषा को अनिवार्य भाषा एवं साहित्य के साथ–साथ जो और 09 भाषाएँ हैं उनमें से जिनकी पढ़ाई का प्रावधान झारखण्ड राज्य में है, उन्हें भी छात्र/छात्राएँ अनिवार्य भाषा एवं साहित्य के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। यह प्रस्ताव 2003–2005 से लागू करने का निर्णय लिया गया।

6 समिति के समक्ष झारखण्ड राज्य में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए झारखण्ड अवस्थित विद्यालय झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से अनुज्ञा प्राप्त कर निर्धारित शर्त्तों की पूर्ति के आधार पर विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को परिषद् के पाठ्यक्रम समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाय।

7. परिषद् के समक्ष इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। परिषद् को बताया गया कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में सी० बी० एस॰ ई० पाठ्यक्रम झारखण्ड राज्य में लागू किया गया है। इंटर स्तर पर अभी तक बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् का पाठ्यक्रम को अंगीकार कर लागू किया गया है। वैसी स्थिति में इंटरमीडिएट +2 के पाठ्यक्रम पर पुनरीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इंटरमीडिएट (+2) पाठ्यक्रम में यथोचित पुनरीक्षण कराया जाय और इसके लिए विशेषज्ञ दलों की टीम गठित की जाय। परिषद् के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण प्रत्येक तीन वर्ष पर अवश्य करायी जाय।

8. परिषद् के विमर्श के दौरान यह प्रस्ताव सामने आया कि माध्यमिक परीक्षा, 2004 इंटर परीक्षा, 2004 के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण परिषद् के सदस्य करेंगे। ताकि परीक्षा के स्वच्छता एवं पवित्रता बनायी जा सके।

विचरोपरांत यह निर्णय लिया गया कि परिषद् के निम्नांकित सदस्य निम्न जिलों में परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों का परिभ्रमण एवं निरीक्षण करेंगे और परीक्षा के स्वच्छता एवं पवित्रता के संबंध में प्रतिवेदन परिषद् के अध्यक्ष को प्रतिवेदित करेगेः–

1. प्रो० के० के० मिश्रा – डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार
2. श्री के० सी० प्रसाद – राँची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा
3. प्रो० तारा कान्त शुक्ला – हजारीबाग, चतरा, कोडरमा
4. डॉ० आर बी० सिंह एवं डॉ० एम० एस० खान – धनबाद, जामताड़ा देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा
5. श्री फुल सिंह – बोकारो, गिरिडीह

6. डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी – पू० सिंहभूम (जमशेदपुर) पू० सिंहभूम (चाईबासा), सरायकेला– खरसावां

परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सदस्य अपने इस कार्य में सहयोग के लिए किसी एक वरीय शिक्षक को रख सकते हैं।

9. परिषद् के समक्ष पंडित नेहरू मेमोरियल इंटर कॉलेज, गोमो, धनबाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद महाविद्यालय, बसंतराय, गोड्डा एवं सोहन लाल आर्या इंटर महाविद्यालय, तुपकाडीह, बोकारो को अस्थायी प्रस्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत इन तीनों महाविद्यालयों को निम्नलिखित रूप से संकाय एवं विषयवार दो सत्रों के लिए अस्थायी प्रस्वीकृति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गयाः– (शिक्षा सत्र 2004–2006 एवं 2005–2007)

क) पंडित नेहरू मेमोरियल इंटर कॉलेज गोमो, धनबाद–

कला संकाय – भाषा – हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र,

विज्ञान संकाय – भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, रसायनशास्त्र

वाणिज्य संकाय – के सभी विषय

ख) मौलाना अबुल कलाम आजाद महाविद्यालय, बसंतराय, गोड्डा

कला संकाय – हिन्दी, अंग्रेजी, संथाली, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, राजनीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ग्रामीण अर्थशास्त्र

विज्ञान संकाय – भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान

वाणिज्य संकाय – के सभी विषय

ग) सोहन लाल आर्या इंटर महाविद्यालय, तुपकाडीह, बोकरो

कला संकाय – हिन्दी अंग्रेजी, संस्कृत उर्दू, परसियन बंगला, संथाली, पाली, उड़िया इतिहास, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण

विज्ञान संकाय – भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान,

वाणिज्य संकाय – के सभी विषय

10. परिषद् में आपसी विमर्श के दौरान यह प्रस्ताव सामने आया कि परिषद् में विशेष पदाधिकारी श्री आई० डी० एन० प्रसाद का कार्य नियोजन अन्यत्र हो चुका है। उनके स्थान पर किसी अन्य परीक्षा संबंधी जानकार अवकाश प्राप्त शिक्षक की सेवा संविदा के आधार पर ली जाय। परिषद लेखा में भी लेखा के जानकार और व्यक्ति को रखा जाय। एवं कम्प्यूटर शाखा खोलकर एक कम्प्यूटर के जानकार की सेवा ली जाय।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि डॉ० काशीनथ गोप, सेवा निवृत कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची एवं लेखा शाखा में श्री दिनेश कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त अवर सचिव लेखा शाखा, झारखण्ड विधान सभा की सैवा छः माह के लिए संविदा के आधार पर ली जाय।

11. परिषद् के समक्ष विचार विमर्श में यह निर्णय लिया गया कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अधिनियम की कंडिका–7 के उप कंडिका 2(ङ) (छ) (ट) में निहित धारा के अनुरूप सरकार से विद्यालय संबंधी (माध्यमिक, मदरसा, मध्यमा, संस्कृत) अभिलेख की मांग की जाय ताकि विद्यालय की स्थापना अनुज्ञा एवं अन्य प्रस्वीकृति संबंधी कार्य परिषद् के स्तर से अधिनियम के अनुरूप किया जा सके।

12. परिषद् के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद् के सदस्यों को अपने वाहन से परिषद् संबंधी कार्य के लिए यात्रा भत्ता पर प्रति किलोमीटर 5/– रुपयें की दर से भुगतान किया जाय। स्थानीय परिषद् के सदस्यों को स्थानीय सवारी भत्ता के रूप में एक मुश्त 300/– रुपये का भुगतान किया जाय। परिषद् सदस्यों के अलावे किसी अन्य विश्वविद्यालय शिक्षक की सेवा निरीक्षण के लिए ली जाती है तो उन्हें सरकारी दर पर यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाय।

13. परिषद् के समक्ष राँची कॉलेज, राँची के वर्ष 2004 के वैसे छात्रों जिनका पंजीयन परिषद् के द्वारा निर्धारित तिथि 09 जनवरी, 2004 को महाविद्यालय, के द्वारा जमा नहीं किया गया जबकि छात्रों द्वारा शुल्कादि का ड्राफ्ट ससमय बना लिया गया था, को स्वीकार करने का प्रस्ताव परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि छात्रहित को देखते हुए छात्रों का पंजीयन और परीक्षा प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाय और राँची कॉलेज के संबंधित अधिकरियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु महाविद्यालय प्राचार्य एवं कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय को पत्र निर्गत किया जाय।

ह/–

(शालिग्रम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 19.02.2004 को हुई परिषद् कार्यालय के लिए कर्मचारियों के पद सृजन हेतु परिषद् सदस्यों की गठित समिति की बैठक की कार्यवही।

आज दिनांक 19.02.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के कार्यालय के लिए पद सृजन हेतु परिषद सदयों की गठित समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः

1. **उपस्थिति**

क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ख) डॉ० के० सी० प्रसाद – सदस्य
गणित विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
वाणिज्य विभाग, के० एम० पी० एम० इंटर महाविद्यालय, जमशेदपुर

घ) प्रो० आर० बी० सिंह – सदस्य
रसायनशास्त्र विभाग, पी० के० राय० मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

ङ) श्री केशव हडोदिया – चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट
हडोदिया अग्रवाल शर्मा एण्ड कम्पनी, शास्त्रीनगर, धनबाद

च) श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी – संयोजक
विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

छ) श्रीमती आभा कुसुम तिर्की – संयोजक
विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

2. दिनांक 11.02.2004 को परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के कार्यालय के लिए वर्ग–तीन एवं वर्ग– चार के कर्मचारियों के पद सृजन हेतु परिषद् द्वारा गठित समिति निर्णय लेगी। उक्त समिति की बैठक में परिषद् के वर्ग–तीन एवं वर्ग–चार के कर्मचारियों के पद सृजन का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा विचारोपरांत निम्नांकित रूप से पद सृजन करने का निर्णय लिया गया। झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के कार्यालय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

1. पदाधिकारी कोषांग
2. कार्यालय स्थापना विभाग
3. परीक्षा विभाग
4. बज्र गृह एवं भंडार विभाग
5. केन्द्रीय, कम्प्यूटर, पुस्तकालय एवं प्रकाशन विभाग
6. विधि, निगरानी एवं संपर्क विभाग
7. वित्त एवं अंकेक्षण विभाग
8. पाठ्यक्रम संबंधन, स्कूल/कॉलेज स्थापना एवं प्रत्यायन विभाग
9. कार्यालय व्यवस्था विभाग

परिषद् कार्यालय के कार्य संपादन हेतु तत्काल निम्न पदों के सृजन एवं स्वीकृति की अनुशंसा राज्य सरकार से की जाएः

क्रम सं०	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**
1	प्रशाखा पदाधिकारी	40
2	सहायक	200
3	आशुलिपिक	05
4	दिनचर्या लिपिक	15
5	वाहन चालक	05
6	बिजली मिस्त्री	01
7	माली	05
8	दफ्तरी	05
9	आदेशपाल (पदचर)	60
10	स्वीपर	10
11	मशीनमैन (चकमुद्रक)	02
12	जेनरेटर चालक	02
13	फोटो स्टेट मशीन चालक	02

कुल 352 (तीन सौ बावन)

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि निर्धारित पदों का विस्तृत विवरण और संलेख तैयार कर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजा जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि परिषद स्वशासी संस्था है इसलिए इन पदों के सृजन के फलस्वरूप राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं रहेगा, संपूर्ण वित्तीय भार परिषद् का होगा। इन पदों के सृजन एवं राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत इन पदों पर परिषद् की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार ही नियुक्ति की जायेगी।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ह/–
(राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ह/–
(आभा कुसुम तिर्की)
विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 14.03.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 14.03.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः—

1. **उपस्थिति**

क) श्री शालिग्राम यादव — अध्यक्ष
अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

ख) प्रो० आर० बी० सिंह — सदस्य
रसायनशास्त्र विभाग, पी० के० राय० मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

ग) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी, — सदस्य
वाणिज्य विज्ञाग, के०एम० पी० एम० इंटर महाविद्यालय, जमशेदपुर

घ) श्री फूल सिंह — सदस्य
प्रधानाचार्य, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, धनबाद

ङ) डॉ० तारा कान्त शुक्ल — सदस्य
संस्कृत विभाग, विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

च) प्रो० एम० एस० खॉ — सदस्य
रीडर, उर्दू विभाग, पी० के० राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

2. समिति के समक्ष दिनांक 04.02.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा पढ़कर सुनाया गया जिसे समिति ने सर्वसम्मति से संपुष्ट किया।

3. समिति के समक्ष उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक — 804/गो०, दिनांक 05.03.2004 के द्वारा की गयी अनुशंसा पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2004 में बरही अनुमंडल के पाँच परीक्षा केन्द्र पर हुई दिनांक 05.03.2004 की दोनों पालियों की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा (नया पाठ्यक्रम एवं पुराना पाठ्यक्रम) को रद्द कर पुनर्परीक्षा लेने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उपार्युक के अनुशंसा पर बरही अनुमंडल के निम्नांकित पाँच परीक्षा केन्द्रों की परीक्षा रद्द कर की जाय और उसकी पुनर्परीक्षा दिनांक 28.03.2004 (रविवार) को जिला मुख्यालय हजारीबाग में अवस्थित निम्नांकित केन्द्रों पर परीक्षा ली जाय।

1. उच्च विद्यालय, बरही (2188)
2. उच्च विद्यालय, बरही (2133)
3. आदर्श मध्य विद्यालय, बरही (2135)
4. मदरसा तहफुजे इस्लाम, बरही (2137)
5. राम नारायण यादव मेमोरियल कॉलेज, बरही (2138)

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित केन्द्र रखा जाय

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रति परीक्षार्थी 150/– रूपये दंड के रूप में शुल्क ली जाय एवं उक्त तिथि को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निष्कासित 58 परीक्षार्थी को भी परीक्षा में सम्मिलित करायी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित केन्द्राधीक्षक सह केन्द्राधीक्षक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा भेजी जाय।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में बरही अनुमंडल में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित केन्द्राधीक्षक भविष्य में केद्राधीक्षक प्रतिनियुक्त नहीं किये जाय।

समिति के माननीय सदस्य डॉ० ताराकान्त शुल्क ने बताया कि दिनांक 01.03.2004 एवं 10.03.2004 को बरही अनुमंडल में कुछ केन्द्रों का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि वहाँ के केन्द्रों पर परीक्षा में कदाचार हुआ था। इसलिए उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाय। विमर्श के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि परीक्षा संचालन में उपायुक्त मुख्य परीक्षा नियंत्रक होते हैं। इसलिए उनके प्रतिवेदन को उपायुक्त के पास मंतव्य हेतु भेजा जाय।

4. समिति के समक्ष आर० डी० डी० ई०, दुमका के प्रतिवेदन के आलोक में आदर्श मध्य विद्यालय, जामताड़ा दिनांक 01.03.2004 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

   विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, जामताड़ा के प्रतिवेदन को उपायुक्त, जामताड़ा के पास मंतव्य देने हेतु भेजी जाय।

5. पाकुड़ जिला स्थित इंटर परीक्षा, 2004 के दिनांक 11.03.2004 के प्रथम पाली की राष्ट्रभाषा हिन्दी (कला संकाय) के स्थगित परीक्षा का पुनर्परीक्षा लेने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

   विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि पाकुड़ जिला स्थित इंटर परीक्षा, 2004 दिनांक 11.03.2004 की स्थगित प्रथम पाली की परीक्षा दिनांक 28.03.2004 (रविवार) को प्रथम पाली में ली जाय।

6. समिति के समक्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2004 के मूल्यांकन केन्द्र के निर्धारण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा के लिए 15 मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय और मूल्यांकन कार्य 25 मार्च, 2004 से प्रारंभ किया जाय। समिति द्वारा निम्नांकित विद्यालय की मूल्यांकन केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गयाः–

1. सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, धूर्वा, राँची
2. संत आलोईस उच्च विद्यालय, राँची
3. मारवाड़ी उच्च विद्यालय, राँची
4. अन्नदा उच्च विद्यालय, हजारीबाग
5. संत रॉबर्ट बालक उच्च विद्यालय, हजारीबाग
6. एस० एन० एल० टी० +2 उच्च विद्यालय, हजारीबाग
7. सरस्वती विद्या मंदिर, धनबाद
8. राम कृष्ण आश्रम उच्च विद्यालय, दुमका
9. संत तेरसा उच्च विद्यालय, दुमका
10. ए० डी० एल० एस० +2 उच्च विद्यालय, जमशेदपुर
11. कदमा ब्याज उच्च विद्यालय, जमशेदपुर
12. ब्राह्मण उच्च विद्यालय, डाल्टेनगंज
13. एम० एल० रूँगटा उच्च विद्यालय, चाईबासा
14. एस० एस० बालिका उच्च विद्यालय, गुमला
15. संत मेरी बालिका उच्च विद्यालय, देवघर

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 21.03.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 21.03.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में परिषद् की पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव, अध्यक्ष – अध्यक्ष
   ख) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ग) डॉ० तारा कान्त शुक्ल – सदस्य
   घ) डॉ० एम० एस० खॉ – सदस्य
   ङ) प्रो० आर० बी० सिंह, विशेष आमंत्रित – सदस्य
   च) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी, – सदस्य
   छ) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य

2. समिति के समक्ष परिषद् के निर्णय के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से भी विद्यालीय शिक्षा लेने के संबंध में प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारांपरांत निर्णय लिया गया कि नये विद्यालय खोले जाने पर अगर कोई अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षण चाहते हैं तो ऐसे विद्यालय को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से मान्यता लेने की अनुशंसा राज्य सरकार को जी जाय।

3. समिति के समक्ष माध्यमिक स्तर पर बची हुई पाँच जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं (कुरमाली, खड़िया, नागपुरी, खोरठा एवं पंच परगनिया) को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचरोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इंटर पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इन पाँचों क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सम्मिलित किया जाय और सरकार को तत्संबंधी अनुशंसा भेजी जाय और यह भी निर्णय लिया गया कि इन पाँचों विषय का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाय तथा इसे 2006 की परीक्षा से लागू किया जाय।

4. समिति के समक्ष इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम पुनरीक्षण के लिए संकायवार एवं विषयवार विशेषज्ञ चयन करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। समिति को यह बताया गया कि माध्यमिक स्तर पर सी० बी० एस० ई० पैटर्न लागू है इसलिए +2 स्तर पर भी तदनुसार पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करना आवश्यक है।

विचारोपरांत इंटरीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण हेतु निम्न प्रकार के संकायवार और विषयवार विशेषज्ञ चयन करने का निर्णय लिया गया।

1.	**गणित**	–	डॉ० के० सी० प्रसाद, परिषद् सदस्य
		–	डॉ० एम० के० सिंह, राँची विश्वविद्यालय
2.	**भौतिकी**	–	प्रो० के० के० मिश्र, परिषद् सदस्य
		–	प्रो० जे० एन० प्रसाद, पी० जी० राँची विश्वविद्यालय
		–	प्रो० जयन्ती अशोक, विभागध्यक्ष भौतिकी, राँची विश्वविद्यालय
3	**रसायन शास्त्र**	–	डॉ० आर० बी० सिंह, परिषद् सदस्य
		–	डॉ० राधे श्याम प्रसाद, विभागाध्यक्ष, विनोबा भावे वि० वि०, हजारीबाग
		–	डॉ० एल० एन० सिन्हा, सेवनिवृत्त, राँची वि० वि०,राँची
		–	डॉ० तपन भट्टाचार्य, राँची कॉलेज, राँची
		–	डॉ० ए० के० तिरहान, बोकरो स्टील सिटी कॉलेज, बोकरो
4.	**वोटनी**	–	डॉ० पी० के० मिश्रा, विनोबा भावे वि० वि०, हजारीबाग
	(वनस्पति	–	डॉ० एम० एम० तिवारी, पी० के० राय मेमो० कॉलेज, धनबाद
	विज्ञान)	–	डॉ० रमेश पाण्डेय, राँची वि० वि०, राँची
5.	**जन्तु विज्ञान**	–	प्रो० एम० के० जमुआर, एस० एस० मेमो० कॉलेज, राँची
		–	प्रो० एम० रजीउद्दीन, विनोवा भावे वि०वि०, हजारीबाग
		–	प्रो० ए० के० पाण्डेय, जी० एल० ए० कॉलेज, डाल्टेनगंज
6.	**भूगर्भशास्त्र**	–	डॉ० उदय कुमार, राँची वि०वि०, राँची
		–	प्रो० एच० एन० सिन्हा, विनोबा भावे वि० वि०, हजारीबाग
7.	**अंग्रेजी**	–	प्रो० एस० सी० मिश्रा, जी० एल० ए० कॉलेज, डाल्टेनगंज
		–	डॉ० राजेश कुमार, विभागाध्यक्ष, विनोवा भावे वि०वि० हजारीबाग
		–	डॉ० आर० एन० गौड, राँची कॉलेज, राँची
8.	**वाणिज्य संकाय**	–	डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी, परिषद् सदस्य
		–	डॉ० आर० बी० प्रसाद, सेवानिवृत, राँची वि०वि०, राँची
		–	डॉ० एस० बी० शे०, राँची वि०वि०, राँची
		–	डॉ० डी० पी० शुक्ला, वर्क्स कॉलेज, जमशेदपुर

9. कला संकाय एवं अन्य विषयों के संबंध में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष स्वयं विशेषज्ञों का चयन अपने स्तर से करेंगे।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 29.03.2004 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 29.03.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही:–

1) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
3) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
4) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
5) श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य
6) श्री फुल सिंह विशेष आमंत्रित – सदस्य
7) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी, विशेष आमंत्रित – सदस्य
8) डॉ० तारा कांत शुक्ला– विशेष आमंत्रित – सदस्य
9) श्री राजेन्द्र राथ त्रिपाठी, विशेष कार्य पदाधिकारी – सदस्य
10) श्रीमती आभा कुसुम तिर्की, विशेष कार्य पदाधिकारी – सदस्य

2. समिति के समक्ष 27.12.2003 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाया गया। इसकी संपुष्टि समिति के द्वारा दी गयी।

3. समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2004–2005 के बजट प्रारूप अनुशंसित करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा बजट प्रारूप पर सम्यक समीक्षोपरांत बजट प्रारूप में कुछ संशोधन के प्रस्ताव के साथ 2004–2005 के बजट को पारित करने हेतु परिषद के बजट सत्र में उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि परिषद् की बजट सत्र की बैठक दिनांक 13.04.2004 को आहूत की जाय।

4. समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2003–2004 के पुनरीक्षित बजट के अनुमोदन का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा समीक्षोपरांत अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

5. परिषद के समक्ष परिषद् द्वारा ली जानेवाली विभिन्न परीक्षाओं के शुल्कादि का वृद्धि करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत समिति द्वारा निम्नांकित रूप से मदवार शुल्क वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

इंटरमीडिएट परीक्षा

	शुल्क	पूर्व निर्धारित दर	वद्धित दर
1	सूचीकरण शुल्क	170/–रुपये प्रति छात्र	
2	अनुमति शुल्क	150/–रुपये प्रति छात्र	200/–रुपये प्रति छात्र
3	सूचीकरण विलंब शुल्क	60/–रुपये प्रति छात्र	75/–रुपये प्रति छात्र
4	अनुमति विलंब शुल्क	60/–रुपये प्रति छात्र	75/–रुपये प्रति छात्र
5	आब्रजन शुल्क	65/–रुपये प्रति छात्र	75/–रुपये प्रति छात्र
6	आब्रजन विलंब शुल्क	70/–रुपये प्रति छात्र	80/–रुपये प्रति छात्र
7	सूचीकरण प्रपत्र सह अनुमति प्रपत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	–
8	क) परीक्षा शुल्क (with full fee) ख) परीक्षा शुल्क (with half fee)	160/–रुपये प्रति छात्र 80/–रुपये प्रति छात्र	– –
9	अंक प्रत्रक शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	–
10	लोकल लेवी	125/–रुपये प्रति छात्र	140/–रुपये प्रति छात्र
11	परीक्षा विलंब शुल्क	65/–रुपये प्रति छात्र	100/–रुपये प्रति छात्र अंतिम तिथि से 10 दिनों तक, उसके बाद 10/– रुपये प्रतिदिन
12	परीक्ष प्रपत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	–
13	औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	–
14	आब्रजन प्रमाण पत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	–
15	निरीक्षण शुल्क	6,000/–	10,000/–
16	स्थापना अनुमति एवं निरीक्षण शुल्क	10,000+3,000 = 13,000/–	10,000+5,000=15,000/–
17	प्रति विषय अनुमति शुल्क	1,500/–	3,000/–

इंटरमीडिएट व्यवसायिक परीक्षा

ऊपर वर्णित सूचीकरण एवं परीक्षा शुल्कादि के अतिरिक्त

18	व्यवसायकि व्यवहारिक परीक्षा शुल्क	350/–रुपये प्रति छात्र	–

इंटरमीडिएट समुन्नत परीक्षा

	समुन्नत परीक्षा	सभी विषयों के लिए	वर्द्धित दर
1	परीक्षा शुल्क	450/–	–
2	अनुमति शुल्क	200/–	–
3	परीक्षा प्रपत्र शुल्क	50/–	–
4	विलंब शुल्क	65/–	100/–

दो विषयों के लिए

1	परीक्षा शुल्क	200/–	–
2	अनुमति शुल्क	200/–	–
3	परीक्षा प्रपत्र शुल्क	50/–	–
4	विलंब शुल्क	65/–	100/–

माध्यमिक एवं मध्यमा परीक्षा

	शुल्क	वार्षिक पूर्व दर	वर्द्धित दर	पूरक पूर्व दर	परिवर्तित दर
1	पंजीयन आवेदन पत्र	10/—रुपये प्रति छात्र	—	—	—
2	पंजीयन शुल्क नियमित	50/—रुपये प्रति छात्र	—	—	—
3	पंजीयन (स्वतंत्र)	100/—रुपये प्रति छात्र	—	—	—
4	पंजीन विलंब दंड	10/—रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र	—	—	—
5	परीक्षा शुल्क	65/—रुपये प्रति छात्र		75/—	—
6	विविध शुल्क	135/—रुपये प्रति छात्र		150/—	
7	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	10/—रुपये प्रति छात्र		10/—	
8	विलंब दंड शुल्क	10/—रुपये प्रति दिन प्रति छात्र		10/— प्रतिदिन प्रति छात्र	
9	प्राप्तांक शुल्क	40/—रुपये प्रति छात्र			
10	औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं प्रवजन प्रमाण पत्र	50/—(नया दर)			

शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा

	शुल्क	पूर्व निर्धारित दर	वर्द्धित दर
1	परीक्षा शुल्क	100/—	—
2	व्यावहारिक शुल्क	50/—	150/—
3	विविध शुल्क	150/—	
4	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	20/— प्रति पत्र	—
5	विलंब शुल्क	20/— प्रति दिन प्रति छात्र	—
6	प्राप्तांक शुल्क	50/— प्रति छात्र	60/—
7	औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क	50/—	—

मदरसा परीक्षा दर में कोई परिवर्तन नहीं।

ये वर्द्धित शुल्क 2005 की परीक्षा से लागू करने का भी निर्णय लिया गया।

6. समिति के समक्ष परिषद् के कर्मचारियों के पेंशन/उपादान हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निधि निर्माण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

   विचारोपरांत समिति द्वारा पेंशन एवं उपादन निधि निर्माण करने का प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

7. समिति के समक्ष विघटित इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् के सहायक सचिव श्री के० एन० झा के बकाये वेतन का भुगतान एवं सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्र के आलोक में श्री झा के वेतनमान

6500–10,500 के वेतनमान में वेतन निर्धारण करने एवं बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विचार करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद् एवं सरकार के बीच का मामला हैं इसलिए इसके संबंध में सम्यक समीक्षा करना आवश्यक है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद् के तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाय जो श्री झा के संबंध में अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष को समर्पित करेंगे। उक्त समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

(1) डॉ० के० सी० प्रसाद
(2) प्रो० आर० बी० सिंह
(3) प्रो० के० के० मिश्र

8. समिति के समक्ष परिषद् के तदर्थ चर्तुथवर्गीय कर्मी श्री सुरेश मुंडा को टंकण आदि कार्य हेतु विशेष भत्ता देने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।
समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री मुंडा को 200/– प्रति माह इस कार्य हेतु भुगतान किया जाय। यह आदेश 01 अप्रील 2004 से लागू किया जाय।

9. परिषद् के समक्ष अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वाहन हेतु एक अतिरिक्त वाहन चालक दैनिक मजदूरी पर रखने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष के वाहन के लिए दैनिक मजदूरी पर एक अतिरिक्त वाहन चालक 01 अप्रैल 2004 से रखने हेतु अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया।

10. समिति के समक्ष अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय के लिए दैनिक मजदूरी पर एक अर्दली रखने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति के द्वारा विचारांपरांत यह निर्णय लिया गया कि 01 अप्रैल से अपने आवासीय कार्यालय हेतु एक अर्दली रखने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिवि परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 03.04.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 03.04.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के परीक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
ख) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
घ) श्री फुल सिंह – सदस्य
ङ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
च) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य

2. समिति के समक्ष दिनांक 14.03.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा पढ़कर सुनाया गया कि समिति ने सर्वसम्मति से संपुष्ट किया।

3. समिति के समक्ष इंटर परीक्षा, 2004 के मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत निम्नांकित महाविद्यालय और विद्यालयों को इंटर परीक्षा, 2004 के परीक्षा केन्द्र निर्धारण पर निर्णय लिया गया।

1.	राँची कॉलेज, राँची	विज्ञान
2.	संत पॉल महाविद्यालय, राँची	विज्ञान
3.	मिसेज के० एम०पी० एम० इंटर कॉलेज, जमशेदपुद	विज्ञान
4.	मारखम कॉलेज, हजारीबाग	विज्ञान
5.	पी० के० राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद	विज्ञान
6.	एस० पी० कॉलेज, दुमका	विज्ञान
7.	मारवाड़ी कॉलेज, राँची	वाणिज्य
8.	टीन प्लेट इंटर महाविद्यालय, जमशेदपुर	वाणिज्य
9.	गुरू नानक महाविद्यालय, धनबाद	वाणिज्य
10.	राँची महिला महाविद्यालय, राँची	कला
11.	बेथेसदा इंटर महाविद्यालय, राँची	कला
12.	महिला कॉलेज, चाईबासा	कला
13.	सिमडेगा महाविद्यालय, सिमडेगा	कला

14.	योद्ध सिंह नामधरी महिला महाविद्यालय, डाल्टेनगंज	कला
15.	जमशेदपुर महिला महाविद्यालय	कला
16.	के० वी० महिला कॉलेज, हजारीबाग	कला
17	आर० एस० पी० कॉलेज, झारिया	कला
18.	आर० एल० एस० वाई० कॉलेज, कोडरमा	कला
19.	जामताड़ा महिला महाविद्यालय, जामताड़ा	कला
20.	आर० के० महिला कॉलेज, गिरिडीह	कला
21.	ए० एन० डिग्री कॉलेज, दुमका	कला
22.	आर० टी० सी० उ०वि० बुटी मोड़, राँची	व्यवसायिक(भोकेसनल)
23.	चन्द्रशेखर दूबे इंटर महाविद्यालय, राजहारा, पलामू	व्यवसायिक(भोकेसनल)
24	करीमसिटी कॉलेज, जमशेदपुर	व्यवसायिक(भोकेसनल)
25.	निर्मला कॉलेज, राँची	क्षेत्रीय भाषा

3. समिति के समक्ष मदरसा फोकानियाँ एवं संस्कृत मध्यमा की परीक्षा को माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य मानने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों परीक्षाओं, मदरसा का फोकानिया संस्कृत (मध्यमा) को माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य माना जाये तथा उन दोनों परीक्षाओं यथ फोकानियाँ एवं मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का नामांकन इंटर कला एवं इंटर वाणिज्य संकाय एवं इंटर व्यवसायिक (द्विवर्षीय) शिक्षण में नामांकन की अनुमति दी जाय।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 13.04.2004 को हुई चतुर्थ बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 13.04.2004 को माध्याह्न 12.00 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

क)	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
ख)	निदेशक (मा० शि०)	– सदस्य
ग)	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
घ)	प्रो० आर० बी० सिंह,	– सदस्य
ङ)	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
च)	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
छ)	श्री फुल सिंह	– सदस्य
ज)	प्रो० के० के० मिश्र	– सदस्य
झ)	श्री केशव कुमार हडौदिया	– सदस्य

2. परिषद् की दिनांक 11.02.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी विशेष कार्य पदाधिकारी झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के द्वारा पढ़ा गया जिसकी संपुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ किया गया।

क) दिनांक 11.02.2004 के परिषद् की बैठक की कार्यवाही के कंडिका–9 के उप कंडिका (क) में पंडित नेहरू मेमोरियल इंटर कॉलेज, गोमो, धनबाद को विज्ञान संकाय में भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र के साथ दो सत्रों (2004–2006 एवं 2005–2007) के लिए अस्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा की जाय साथ ही कला संकाय के हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय के सभी विषयों के लिए स्थायी प्रस्वीकृति हेतु सरकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

3. परिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2004 के द्वारा अनुशंसित परिषद् के वर्ष 2004–2005 आय–व्यय हेतु बजट परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया गया। बजट का स्वरूप के संबंध में अध्यक्ष के द्वारा मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। बजट में 20 करोड़ 17 लाख 48 हजार एवं 300 रुपये का अनुमानित आय दिखाया गया एवं 15 करोड़ 40 लाख 4 हजार एवं 8 सौ सतहत्तर रुपये का अनुमानित व्यय दिखलाया गया हैं इस तरह चार करोड़ सतहत्तर लाख तैंतालिस हजार चार सौ तेईस रुपये का बचत बजट प्रस्तुत किया बजट के प्रारूप पर गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से बजट अनुमोदित करते हुए पारित किया गया। परिषद में विमर्श के दौरान आम सहमति पर यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष परिषद् के आय–व्यय का लेखा का आन्तरिक अंकेक्षण चाटर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाय जो त्रैमासिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु एक लाख का प्रावधान किया जाय।

4. परिषद के समक्ष परिषद् के विभिन्न समितियों यथा दिनांक 19.02.2004 को हुई परिषद् के पदसृजन समिति के द्वारा अनुशंसित वर्ग–3 एवं वर्ग– 4 के पदों के लिए पदसृजन का प्रस्ताव एवं दिनांक 21.03.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की अनुशंसाएँ एवं दिनांक 14.03.2004 एवं 03.04.2004 को हुई परिषद की परीक्षा समिति की कार्यवाही एवं 29.03.2004 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत सभी अनुशंसाओं को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया एवं वित्त समिति के द्वारा पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र के शुल्कादि निर्धारण के प्रस्ताव को निम्नांकित रूप से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया।

इंटरमीडिएट परीक्षा

	शुल्क	**पूर्व निर्धारित दर**	**वद्धित दर**
1	सूचीकरण शुल्क	170/–रुपये प्रति छात्र	170/–रुपये प्रति छात्र
2	अनुमति शुल्क	150/–रुपये प्रति छात्र	200/–रुपये प्रति छात्र
3	सूचीकरण विलंब शुल्क	60/–रुपये प्रति छात्र	75/–रुपये प्रति छात्र
4	अनुमति विलंब शुल्क	60/–रुपये प्रति छात्र	75/–रुपये प्रति छात्र
5	आब्रजन शुल्क	65/–रुपये प्रति छात्र	75/–रुपये प्रति छात्र
6	आब्रजन विलंब शुल्क	70/–रुपये प्रति छात्र	80/–रुपये प्रति छात्र
7	सूचकरण प्रपत्र सह अनुमति प्रपत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	50/–रुपये प्रति छात्र
8	क) पूर्ण (फूल) परीक्षा शुल्क ख) आधा (हफ) परीक्षा शुल्क	160/–रुपये प्रति छात्र 80/–रुपये प्रति छात्र	160/–रुपये प्रति छात्र 80/–रुपये प्रति छात्र
9	अंक प्रत्रक शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	50/–रुपये प्रति छात्र
10	लोकल लेवी	125/–रुपये प्रति छात्र	140/–रुपये प्रति छात्र
11	परीक्षा विलंब शुल्क	65/–रुपये प्रति छात्र	100/–रुपये प्रति छात्र अंतिम तिथि से 10 दिनों तक, उसके बाद 15/– रुपये प्रतिदिन (दस दिनों तक)
12	परीक्ष प्रपत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	50/–रुपये प्रति छात्र
13	औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	50/–रुपये प्रति छात्र
14	आब्रजन प्रमाण पत्र शुल्क	50/–रुपये प्रति छात्र	50/–रुपये प्रति छात्र
15	निरीक्षण शुल्क	6,000/–	10,000/–
16	स्थापना अनुमति एवं निरीक्षण शुल्क	10,000+3,000 = 13,000/–	10,000+5,000=15,000/–
17	प्रति विषय अनुमति शुल्कादि	1,500/–	3,000/–

ऊपर वर्णित सूचीकरण एवं परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त

18	व्यवसायकि व्यवहारिक परीक्षा शुल्क	350/–रुपये प्रति छात्र	350/–प्रति छात्र

इंटरमीडिएट समुन्नत परीक्षा

	समुन्नत परीक्षा	सभी विषयों के लिए	वर्द्धित दर
1	परीक्षा शुल्क	450/–	450/–
2	अनुमति शुल्क	200/–	200/–
3	परीक्षा प्रपत्र शुल्क	50/–	50/–
4	विलंब षुल्क	65/–	100/–

दो विषयों के लिए

1	परीक्षा शुल्क	200/–	200/–
2	अनुमति शुल्क	200/–	200/–
3	परीक्षा प्रपत्र शुल्क	50/–	50/–
4	विलंब शुल्क	65/–	100/– अंतिम तिथि से 10 दिनों तक उसके बाद 15/– रुपये प्रतिदिन (दस दिनों तक)

माध्यमिक एवं मध्यमा परीक्षा

	शुल्क	वार्षिक पूर्व दर	वर्द्धित दर	पूरक पूर्व दर	परिवर्तित दर
1	पंजीयन आवेदन पत्र	10/–	10/–	10/–	10/–
2	पंजीयन शुल्क नियमित	50/–	50/–	50/–	50/–
3	पंजीयन (स्वतंत्र)	100/–	100/–	100/–	100/–
4	पंजीयन विलंब दंड	10/– प्रतिदिन प्रति छात्र	10/– प्रतिदिन प्रति छात्र	10/– प्रतिदिन प्रति छात्र	10/– प्रतिदिन प्रति छात्र दस दिनों तक
5	परीक्षा शुल्क	65/–	75/–	75/–	75/–
6	विविध शुल्क	135/–	150/–	135/–	150/–
7	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	10/–	10/–	10/–	10/–
8	विलंब दंड शुल्क	10/– रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र	10/–रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र	10/– प्रतिदिन प्रति छात्र	10/– प्रतिदिन प्रति छात्र दस दिनों तक
9	प्राप्तांक शुल्क	40/–	40/–	40/–	40/–
10	औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं प्रवजन प्रमाण पत्र			50/–	50/–

शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा

	शुल्क	पूर्व निर्धारित दर	वर्द्धित दर
1	परीक्षा शुल्क	100/–	100/–
2	व्यावहारिक शुल्क	50/–	150/–
3	विविध शुल्क	150/–	150/–
4	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	20/– प्रति आवेदन पत्र	20/–प्रति आवेदन पत्र
5	विलंब शुल्क	20/–प्रति दिन प्रति छात्र (दस दिनों तक)	20/–प्रति आवेदन पत्र (दस दिनों तक)
6	प्राप्तांक शुल्क	50/– प्रति छात्र	60/– प्रति छात्र
7	औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क		50/–

मदरसा परीक्षा में तत्काल आंषिक परिवर्तन किया गया जो निम्नवत है।

	परीक्षा शुल्क	अंक पत्र	प्रमाण पत्र	औपबंधिक	विविध शुल्क	कुल
वास्तनियाँ	75/–	25/–	35/–	25/–		160/–
फोकानियाँ	175/–	25/–	40/–	35/–	25/–	300/–
मौलवी	180/–	25/–	40/–	35/–	30/–	310/–
आलीम	210/–	25/–	40/–	35/–	50/–	360/–
आलीम प्रतिष्ठा	210/–	25/–	40/–	35/–	50/–	360/–
फाजिल	210/–	25/–	40/–	35/–	65/–	375/–
सूचीकरण			65/–			
विलम्ब शुल्क			10/– प्रतिदिन दस दिनों तक			
सूचीकरण स्वतंत्र छात्र			115/–			
प्रपत्र शुल्क			10/–			

6. वार्ता के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि इंटरमीडिएट परीक्षा, 2004 के मूल्यांकन केन्द्र पर सही ढंग से मूल्यांकन हो सके, इसके लिए परिषद् के सदस्य मूल्यांकन केन्द्र में जाकर मूल्यांकन की शुद्धता सुनिष्चित करेगे। यह भी निर्णय लिया गया कि निम्नांकित जिलों में अवस्थित मूल्यांकन केन्द्र निम्नांकित माननीय सदस्य पर्यवेक्षण करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षकों की कमी होने पर स्थानीय परीक्षाकों की नियुक्ति संबंधित परिषद् सदस्यों की सहमति से ही की जाय।

1. श्री के० सी० प्रसाद – राँची
2 प्रो० के० के० मिश्रा – डाल्टनगंज
3. डॉ० आर० बी० सिंह –

श्री फुल सिंह — धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा
डॉ० एम० एस० खान

4. प्रो० तारा कान्त शुक्ला — हजारीबाग, कोडरमा
5. डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी — जमशेदपुर, चाईबासा

शेष जिलों में अवस्थित मूल्यांकन केन्द्रों के निदेशक परिषद की सहमति से ही स्थानीय परीक्षक की नियुक्ति कर सकेंगे।

6. परिषद् में विचार विमर्श के दौरान यह प्रसंग सामने आया कि डिग्री एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर शिक्षण साथ–साथ करने के कारण इंटर स्तरीय शिक्षक की गुणवत्ता एवं प्रशासन सही ढंग से व्यवस्थित रहने में परिषद् को कठिनाई हो रही है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कई वादों में यह निर्णय हो चुका है कि डिग्री कॉलेजों से इंटर स्तर की पढ़ाई को अलग की जाय।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि डिग्री एवं अंगीभूत महाविद्यालयों से इंटर व्यवस्था को अलग करने हेतु सरकार से अनुरोध किया जाय ताकि इंटर स्तरीय शिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रशसनिक पकड़ मजबूत करने में परिषद् को सुविधा हो सके।

7. परिषद् के समक्ष बोकारो स्टील माईन्स कॉलेज, भवनाथपुर (पलामू) के स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। परिषद को यह बताया गया कि विघटित इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् के प्रस्वीकृति समिति के द्वारा उक्त महाविद्यालय को स्थापना अनुज्ञा की अनुशंसा की गयी थी।
विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त महाविद्यालय को स्थापना की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 24.04.2004 को हुई परीक्ष समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 24.04.2004 को 12.00 बजे मध्याह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
ख) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
घ) श्री फुल सिंह – सदस्य
ङ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
च) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य

2. समिति के समक्ष दिनांक 03.04.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इसे समिति द्वारा सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

3. समिति के समक्ष इंटर परीक्षा, 2004 के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक/सह परीक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। परिषद् कार्यालय द्वारा विज्ञान संकाय के 06 मूल्यांकन केन्द्रों, वाणिज्य संकाय के 03 मूल्यांकन केन्द्रों, कला संकाय के 12 मूल्यांकन केन्द्रों एवं व्यवसायिक विषय के 03 मूल्यांकन केन्द्रों एवं 01 क्षेत्रीय भाषा से संबंधित मूल्यांकन केन्द्रवार प्रधान परीक्षक/सह परीक्षकों की तैयार सूची समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया।

समिति द्वारा विचारोपरांत एवं समीक्षोपरांत कुछ संशोधन के साथ परिषद् कार्यालय द्वारा तैयार प्रधान परीक्षक/सह परीक्षकों की केन्द्रवार सूची को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

4. समिति के समक्ष माध्यमिक परीक्षा, 2005 के स्वतंत्र परीक्षार्थियों से अनुमति शुल्क लेने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा विचारोपरांत माध्यमिक स्तर के स्वतंत्र छात्रों से 25/– रुपये प्रति छात्र के दर से अनुमति शुल्क लेने का निर्णय लिया गया।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 18.05.2004 को हुई प्रस्वीकृति समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 18.05.2004 को माध्यह्न 12.00 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री/डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की प्रस्वीकृति समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः–

क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
घ) श्री फुल सिंह – सदस्य

2. समिति के समक्ष दिनांक 13.01.2004 को हुई प्रस्वीकृति समिति की बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाया गया इसे सर्वसम्मति के अनुमोदित किया गया।

3. समिति के समक्ष जिनियस इंटर कॉलेज, विष्टुपुर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि तीनों संकाय में कला, विज्ञान संकाय के लिए 128 एवं वाणिज्य संकाय के लिए 32 छात्र के शिक्षण हेतु एक साल के लिए स्थापना अनुज्ञा प्रदान की जाय इसमें कला एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के लिए एक शिक्षक और वाणिज्य संकाय के लिए दो शिक्षक की सेवा लेनी होगी।

शिक्षकेत्तर कर्मचारी–2 और अनुसेवक दो पद रहेंगे।

4. समिति के समक्ष पंडित दीन दयान उपाध्याय महाविद्यालय, राँची में इंटर शिक्षण हेतु स्थापना अनुज्ञा देने का प्रस्ताव रखा गया।

विचारोपरांत एक साल के लिए तीनों संकायों में शिक्षण हेतु स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। शिक्षक एवं शिक्षकेत्त कर्मचारियों की संख्या उपर्युक्त कंडिका–3 के अनुसार होगा।

5 समिति के द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि जिन इंटर महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति की अवधि समाप्त हो रही है उन माहविद्यालयों को सूचित किया जाय कि वे प्रस्वीकृति के नवीरकण होने के पश्चात् ही नियमित छात्र के रूप में उनके छात्रों का पंजीयन एवं परीक्षाफल पर विचार किया जायेगा। अगर कोई महाविद्यालय बिना प्रस्वीकृति दीर्घीकरण के छात्रों का पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरते हैं तो उनहें स्वतंत्र छात्र के रूप में ही पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र स्वीकार किये जायेंगे।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 31.05.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 31.05.2004 को 12.00 बजे मध्याह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की परीक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
   घ) श्री फुल सिंह – सदस्य
   ङ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   च) प्रो० दुखा भगत – सदस्य

2. समिति के समक्ष सरकार के संयुक्त सचिव के पत्रांक 1372 दिनांक 19.05.2004 में दिये गये निदेश जिसमें झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की अधिनियम की धारा– 7 (2) (6) के अधीन प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा, 2002 के चाईबासा केन्द्र से निष्कासित छात्रों की पुनर्परीक्षा लेने के संबंध में अधिविद्य परिषद् के स्तर से अविलम्ब निर्णय लने का निदेश दिया गया है के संबंध में प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति को यह बताया गया कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में हजारीबाग और चाईबासा परीक्षा केन्द्र के रद्द परीक्षा का पुनर्परीक्षा लेने का आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें परीक्षा अवधि में निष्कासित छात्रों को पुनर्परीक्षा में सम्मिलित नहीं करने का निदेश दिया गया थ। सरकार ने पुनः उन्हीं निष्कासित छात्रों के पुनर्परीक्षा के संबंध में परिषद् के स्तर पर निर्णय लेने का निदेश दिया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा, 2002 के अन्य केन्द्रों में भी बहुत से परीक्षार्थी निष्कासित हैं या किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके हैं। इसके संबंध में भी सम्यक निर्णय लिया जाना चाहिए।

विचरोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वैसे सभी निष्कासित छात्र जिनका निष्कासन की अवधि साल भर से अधिक हो चुकी है के लिए सभी विषयों की एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाय जिसमें वैसे सभी परीक्षार्थी को अवसर दिया जाय जो 2002 में किसी कारण से वंचित हो गये हैं। या कोई परीक्षार्थी 2002 के परीक्षा में अनुर्त्तीर्ण हो गये हैं यह भी विशेष परीक्षा में सभी विषयों में सम्मिलित हो सकते हैं। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि परीक्षार्थिकों की संख्या कम है और परीक्षा में अधिक व्यय होने की संभावना हैं सभी परीक्षार्थी नियमित सेवा में हैं इसलिए इन सभी परीक्षार्थिकों से परीक्षा शुल्क के रूप में 2,000/– रुपये (दो हजार रुपये) प्रति छात्र परीक्षा शुल्क लिया जाय।

ह/–

शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के दिनांक 05.01.2004 को हुई पंचम बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 05.06.2004 को माध्यह्न 12.00 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
   ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी, विशेष आमंत्रित – सदस्य
   ङ) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   च) डॉ० तारा कांत शुक्ला– विशेष आमंत्रित – सदस्य
   छ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   ज) श्री फुल सिंह विशेष आमंत्रित – सदस्य
   झ) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ञ) श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य
   ट) डॉ० कमला कान्त मिश्र – सदस्य

2. समिति के समक्ष सरकार के संयुक्त सचिव के ज्ञाप संख्या 6 व।–86/84–1240 दिनांक 03.06.2004 के आलोक में 2004–2006 से इंटरमीडिएट +2 के शिक्षण में सी० बी० एस० ई० पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। परिषद् को यह बताया गया कि झारखण्ड प्रदेश में वर्ष 2003 की परीक्षा से ही माध्यमिक स्तर पर सी० बी० एस० ई० पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका है और माध्यमिक स्तर के छात्र सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम के शिक्षण के आलोक में माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए इंटर स्तर में भी सी० बी०एस० ई० पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण एवं परीक्षा लेना आवश्यक हो गया है।

   विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि शिक्षण सत्र 2004–2006 से ही इंटर स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के लिए सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम को निम्नांकित रूप से अंगीकृत किया जायः–

   क) सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों का समावेश है, पर छात्र केवल सी०बी०एस०ई० परीक्षा में

उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की अलग अलग पढ़ाई होती है एवं परीक्षा ली जाती है, और छात्र–छात्राओं को आई० ए०, आई० एस० सी० एवं आई कॉम उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम को लागू करते हुए इस पाठ्यक्रम में विषयों को तीन वर्गो में (क) कला (ख) वाणिज्य एवं (ग) विज्ञान में बांटते हुए संकाय के निर्धारण किया जाय।

ख) सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों का स्थान नहीं है जिसका शिक्षण हमारे संस्थाओं में होती है जैसे कला में मानव शास्त्र, विज्ञान में भुगर्भशास्त्र एवं सांख्यिकी एवं वाणिज्य में कॉमर्सियल अर्थमेटिक एवं एलीमेंट्री स्टेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स। अतः निर्णय लिया गया कि इन सभी विषयों को सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम के साथ कायम रखा जाय।

ग) सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम में शैक्षिक धारा (एकेडमिक स्ट्रीम) एवं व्यवसायिक धारा (भोकेशनल स्ट्रीम) को एक साथ जोड़ने का प्रावधान है लेकिन राज्य में इस प्रकार के शिक्षण की आधारभूत संरचना इंटर संस्थान में नहीं होने के कारण इसे तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

घ) सी०बी०एस०ई० परीक्षा नियमावली के अधीन 11वीं के परीक्षा का आयोजन विद्यालय के द्वारा किया जाता है और 12वीं परीक्षा का आयोजन सी०बी०एस०ई० बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह निर्णय लिया गया कि इंटरमीडिएट 11 कक्षा को इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष माना जायेगा जिसकी परीक्षा का आयोजन इंटर महाविद्यालय/+2 विद्यालय एवं अन्य इंटरमीडिएट संस्थानों के द्वारा ही किया जायेगा। लेकिन इस स्तर के प्रश्न पत्रों का निर्माण झारखण्ड एकेडमिक कॉसिल के द्वारा किया जायेगा जिसे सभी संबंधित महाविद्यालय/विद्यालय परिषद् कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त करेंगे ताकि राज्य भर के शिक्षण संस्थाओं में एक रूपता बनी रही। 12वीं परीक्षा का आयोजन (इंटर द्वितीय वर्ष) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के द्वारा संचालित किया जायेगा।

ङ) सी०बी०एस०ई० परीक्षा नियमावली एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित निदेशों को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया लेकिन सी०

बी०एस०ई० नियमावली में दिये गये ग्रेडिंग सिस्टम को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

च) सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम में छात्र को केवल उत्तीर्ण घोषित किया जाता है जबकि परिषद् द्वारा पूर्व से तीनों संकायों के छात्रों को डिविजन के साथ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रचलित अंकों का प्रावधान जारी रहेगा। परीक्षा विषयों के कुल प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल निर्धारित किया जाय।

छ) सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम पर आधारित इंटरमीडिएट+2 की परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र चयन किये जाने एवं परीक्षार्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। हिन्दी अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का भी निर्णय लिया गया।

ज) यह भी निर्णय लिया गया कि सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम में भाषा साहित्य में जितने भी विषय निर्धारित हैं इसके अलावे झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में पूर्ववत रखा जाय।

झ) परिषद् के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि माध्यमिक स्तर के परीक्षाओं में सी०बी०एस०ई० परीक्षा नियमावली एवं मूल्यांकन निदेशों को भी अंगीकृत किया जाय।

ञ) परिषद् के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम के अनुरूप एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक के रूप में अनुशंसित किये जाय। विचारोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में एन० सी० ई० आर० टी० पुस्तकों की संख्या की पर्याप्त अनुपलब्धता की स्थिति में सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम पर आधरित अन्य पुस्तकों जिनकी गुणवता अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रमाणित है को भी अध्यक्ष हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

ट) परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम अनुरूप अध्यापन के लिए शिक्षकों को विषय वस्तु की अद्यतन जानकारी हेतु ओरियेन्टेशन कोर्स की व्यवस्था की जाय। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् इस हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें।

ठ) यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2006 में नये पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा संचालन की जायेगी उसके साथ पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर भी अलग से दो साल के लिए परीक्षा संचालित की जाय ताकि पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ने वाले छात्रों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

3. समिति के समक्ष दिनांक 18.05.2004 की प्रस्वीकृति समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखा गया।

विचारोपरांत इसे अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

4. समिति के समक्ष मधुपुर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की पढ़ाई प्रारंभ करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि मधुपुर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में गणित वर्ग में –128 एवं जीव विज्ञान वर्ग में –64 छात्रों के पढ़ाई की अनुमति दो शिक्षा सत्रों के लिए दी जाय।

5. परिषद् के समक्ष माध्यमिक स्तर पर (10 वर्ग) में एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रकाशित एवं अनुशंसित उर्दू विषय पुस्तक (हमारी जुबान) को कुछ संशोधन के साथ लागू किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद् के द्वारा निर्मित तत्संबंधी पाठ्यक्रम भी लागू किया जाय। इसकी जानकारी राज्य सरकार को करायी जाय।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 18.06.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 18.06.2004 को 12.30 बजे अपराह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के परीक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः—

1. क) श्री शालिग्राम यादव — अध्यक्ष
   ख) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी — सदस्य
   ग) श्री फुल सिंह — सदस्य
   घ) डॉ० तारा कांत शुक्ला — सदस्य
   ङ) प्रो० एम० एस० खॉ — सदस्य

2. समिति के समक्ष माध्यमिक परीक्षा, 2004 के परीक्षाफल से संबंधित नेतरहाट उच्च विद्यालय के प्राचार्य एवं कुछ अभिभावकों द्वारा दिये गये प्रतिवाद पत्र जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि नेतरहाट के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय में औसत अंक दिया गया है जिसकी पुनर्मूल्यांकन किया जाय। समिति को यह बताया गया कि उक्त प्रतिवाद प्राप्त होने के बाद परिषद के द्वारा नेतरहाट के परीक्षार्थियों के संस्कृत, अंग्रेजी विषय के उत्तरपुस्तिकाओं को मांगाकर पुनरीक्षण कराया गया और पुनरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यथा संभावित परीक्षाफल में संशोधन करने की कार्रवाई की गई। समिति के समक्ष नेतरहाट के परीक्षार्थियों के उत्तरपुस्तिका पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

गहण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूंकि परीक्षा रेगुलेशन में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए उस नियम के विरूद्ध पुन—मूल्यांकन कराने पर अन्य मामलों में परिषद् को विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नेतरहाट के सभी परीक्षार्थी का दोनों विषयों का पुर्नयोग के आधार पर ही परीक्षाफल में आंशिक संशोधन किया जाय। नियम विरूद्ध पुनर्मूल्यांकन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ह/—

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 18.06.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की बैठक की कार्यवाही –

आज दिनांक 18.06.2004 को 2.30 बजे अपराह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के अध्यक्ष की शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत रही :–

1) क) शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ग) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   घ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   ङ) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
   च) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी, आमंत्रित – सदस्य
   छ) श्री फुल सिंह , आमंत्रित – सदस्य
   ज) प्रो० के० के० मिश्र, आमंत्रित – सदस्य
   झ) डॉ० प्रकाश नारायण आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   गणित विभाग, राँची कॉलेज, राँची
   ञ) डॉ० एन० के० अग्रवाल आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   गणित विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, राँची
   ट) डॉ० तपन भट्टाचार्य, आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   रसायनशास्त्र विभाग, राँची कॉलेज, राँची
   ठ) डॉ० पी० पी० झा, आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   रसायनशास्त्र विभाग, राँची कॉलेज, राँची
   ड) डॉ० जयन्ती अशोक, आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   विभागाध्यक्ष, भौतिकी विज्ञान, राँची कॉलेज, राँची
   ण) डॉ० जे० एल० अग्रवाल आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   विभागाध्यक्ष, भौतिकी विज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, राँची
   त) डॉ० ए० के०वरियार आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   वनस्पतिषास्त्र विभाग, राँची कॉलेज, राँची
   थ) डॉ० बी० प्रसाद, आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   वाणिज्य विभाग, सेवानिवृत प्रो० राँची वि० वि०, राँची
   द) डॉ० एच० एन० पी० सुमन आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
   विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राँची वि० वि०, राँची

ध) डॉ० आर० के० झा आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
राजनीति विज्ञान विभाग, राँची कॉलेज, राँची

न) डॉ० एन० वेंकट अप्पाराव आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
जन्तु विज्ञान विभाग, संत जेवियर्स कॉलेज, राँची

2. समिति के समक्ष झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की बैठक दिनांक 05.06. 2004 में लिये गये निर्णय की 2004–2006 सत्र से इंटर स्तर पर कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में सी० बी०एस० ई० पाठ्यक्रम को लागू किया जाय के संदर्भ में आई० ए०, आई० कॉम एवं आई० एस० सी० प्रथम वर्ष के विषयों के पाठ्यक्रम 2004–2005 सत्र के लिए निम्नांकित रूप से निर्धारित कने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

क) इस पाठ्यक्रम के अनुसार कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के छात्रों को निम्नलिखित अनिवार्य भाषाओं में से एक का अध्ययन अनिवाय हैः–

(1) हिन्दी "ए" कोर (हिन्दी भाषियों के लिए)

(2) हिन्दी "बी" (अहिन्दी भाषियों के लिए)

(3) अंग्रेजी कोर

कला संकाय

ऐच्छिक (Optional) भाषाएँ

ख) निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से एकः–

हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, उड़िया, संस्कृत, अरबी, फारसी, मैथिली, मुण्डारी, कुडूख (उराँव), नागपुरी, खरिया, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया एवं हो

ग) निम्नलिखित विषयों में तीन विषय कला संकाय के छात्र रख सकते हैंः–

इतिहास, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मानवषास्त्र, गणित/सांख्यिकी एवं संगीत

अतिरिक्त विषय

(1) "ख" एवं "ग" में वर्णित विषयों में से एक विषय अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जा सकता है।

(2) एक ही भाषा कोर एवं ऐच्छिक रूप में नहीं रखी जा सकती है।

विज्ञान संकाय

घ) आई० एस० सी० प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य एक भाषा के अतिरिक्त निम्नलिखित दो विषय अनिवार्य होंगेः–

(1) भौतिकी

(2) रसायन शास्त्र

ङ) निम्नलिखित विषयों में से दो ऐच्छिक विषयों का अध्ययन अनिवार्य हैंः–

(1) गणित/सांख्यिकी (कोई एक)

(2) जीव विज्ञान

(3) भूगर्भशास्त्र

(4) सांख्यिकी

(5) अर्थशास्त्र

(6) कम्प्यूटर साईन्स

(1) प्रायोगिक विषयों को छोड़कर उपर्युक्त वर्णित विषयों में से एक अतिरिक्त विषय रखा जा सकता है।

(2) कोई ऐच्छिक भाषा (कला के (ख)) में वर्णित अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जा सकता है।

(3) एक ही भाषा कोर एवं ऐच्छिक रूप में नहीं रखी जा सकती है।

(4) कोई गणित विषय के साथ सांख्यिकी विषय नहीं रख सकता है।

वाणिज्य संकाय

च) आई० कॉम० प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कोई एक अनिवार्य भाषा के अतिरिक्त निम्नलिखित दो विषय अनिवार्य होंगेः

(1) एकाउन्टेंसी

(2) विजनेस स्टडिज

छ) वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए निम्नलिखित विषयों में से दो विषयों का अध्ययन अनिवार्य हैः–

(1) गणित/कमर्शियल एरीथमेटिक (कोई एक)

(2) अर्थशास्त्र

(3) इन्टरप्रेनियरशिप

(4) कम्प्यूटर साईन्स

अतिरिक्त विषय

(1) उपर्युक्त विषयों में से एक अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जा सकता है।

(2) कोई ऐच्छिक भाषा (कला संकाय के "ख" में वर्णित)

(3) एक ही भाषा कोर एवं ऐच्छिक रूप में नहीं रखी जा सकती है।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय 100 अंकों का होगा और उत्तीर्ण –33 होगा।

प्रायोगिक विषय में सिद्धांत 70 अंकों का होगा एवं प्रयोग 30 अंकों का होगा

उत्तीर्णांक क्रमशः 23 एवं 10 होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया और समीक्षोपरांत इसे अनुमोदित किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पाठ्यपुस्तक के संबंध में अलग से समीक्षा कर कार्रवाई की जाय।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के दिनांक 09.07.2004 को हुई षष्टम बैठक की कार्यावाही।

आज दिनांक 09.07.2004 को अपराह्न 12.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
   ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
   घ) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   ङ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   च) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   छ) श्री फुल सिंह – सदस्य
   ज) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   झ) प्रो० कमला कान्त मिश्र – सदस्य

2. परिषद् की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रहित में परिषद् द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाय कि उक्त पाठ्यक्रम में एन० सी० ई० आर० टी० किताबों के अतिरिक्त जिन किताबों की सूची अंकित की गई है, उन किताबों का पुनरीक्षण हो रहा है और पुनरीक्षण के पश्चात पुनरीक्षित सूची शीघ्र ही परिषद् द्वारा प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति में यह भी अंकित किया जाय कि पाठ्यक्रम के मुख्य पृष्ठ पर मोनोग्राम मुद्रित है और छात्र इसी मोनोग्राम से जारी पाठ्यक्रम की सच्ची प्रतियाँ क्रय कर उपयोग में लाएँ।

   परिषद में यह भी निर्णय लिया गया कि कोपीराइट परिषद् के पास सुरक्षित हो, साथ ही सभी महाविद्यालयों /+2 विद्यालयों के प्राचार्यो को पाठ्यक्रम की एक–एक प्रति प्राप्त करा दिया जाय।

3. परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 20 जुलाई, 2004 को पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलायी जाय, जिसमें एन०सी०ई०आर०टी० बुक्स के अतिरिक्त अन्य संदर्भ किताबों के संबंध में निर्णय लिया जाय।

4. परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों की संबद्धता की अवधि समाप्ति हो रही है, उन महाविद्यालयों का निरीक्षण फिर से कराया जाय और इस आशय की विज्ञप्ति जारी की जाय।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 20.07.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 20.07.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही:–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ग) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   घ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   ङ) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी आमंत्रित सदस्य
   च) श्री फुल सिंह आमंत्रित सदस्य
   छ) प्रो० के० के० मिश्र आमंत्रित सदस्य
   ज) प्रो० आर० बी० सिंह, आमंत्रित सदस्य
   झ) श्री केशव कुमार हडौदिया आमंत्रित सदस्य

आमंत्रित विषय विशेषज्ञ

क) डॉ० प्रकाश नारायण
गणित विभाग, राँची कॉलेज, राँची

ख) डॉ० एन० के० अग्रवाल
मारवाड़ी कॉलेज, राँची

ग) डॉ० तपन भट्टाचार्य,
रसायनशास्त्र विभाग, राँची कॉलेज, राँची

घ) डॉ० पी० पी० झा,
रसायनशास्त्र विभाग, राँची कॉलेज, राँची

ङ) डॉ० जयन्ती अशोक,
विभागाध्यक्ष, भौतिकी विज्ञान, राँची कॉलेज, राँची

च) डॉ० जे० एल० अग्रवाल
विभागाध्यक्ष, भौतिकी विज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, राँची

छ) डॉ० ए० के०वरियार
वनस्पतिशास्त्र विभाग, राँची कॉलेज, राँची

ज) डॉ० आर० सी० गोला,
सांख्यिकी विभाग, विभागाध्यक्ष, डोरंडा कॉलेज, राँची

झ) डॉ० बी० प्रसाद, आमंत्रित विषय विशेषज्ञ
वाणिज्य विभाग, सेवानिवृत प्रो० राँची वि० वि०, राँची

ञ) डॉ० एल० एन० राणा
इतिहास विभाग, राँची कॉलेज, राँची

ट) डॉ० ए० के० चट्टोराज
इतिहास विभाग, राँची कॉलेज, राँची

ठ) डॉ० आर० के० झा
सेवा निवृत विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राँची कॉलेज, राँची

ड) डॉ॰ लालमणि प्रसाद
राजनीतिविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, राँची

ण) डॉ० केदारनाथ प्रसाद,
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, बिरसा कॉलेज, खूंटी

त) डॉ० प्रतिमा सिन्हा
विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, राँची

थ) डॉ० अभिमन्यु महतो
विभागध्यक्ष, भूगोल विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, राँची

द) डॉ० राकेश नारायण
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, डोरण्डा कॉलेज, राँची

ध) डॉ० अरपिता राय
विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, राँची

न) डॉ० ए० के० अमर
समाजशास्त्र विभाग, राँची कॉलेज, राँची

2. समिति के समक्ष दिनांक 18.06.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की बैठक की कार्यवाही जिसमें इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष, 2004 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के लिए सी० बी० एस० ई० पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

3. समिति के समक्ष इंटरमीडिएट वर्ष 2004 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के लिए एन०सी०आर०टी० पुस्तकों के अतिरिक्त सी०बी०एस०ई० आधारित निजी प्रकाशन द्वारा प्रकाशिक पाठ्य पुस्तकों के चयन का प्रस्ताव रखा गया।

समिति के सदस्यों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष 2004 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषयवार टेक्सटबुक एवं रिफरेन्स बुक्स की अनुशंसा की गई जिसे सर्वसम्मति से परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। अनुमोदित पुस्तकों की संकायवार एवं विषयवार सूची संलगन है।

अनुमोदित
ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 20.07.2004 को हुई सप्तम् बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 20.07.2004 को अपराह्न 1.00 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
   ग) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   घ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   ङ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   च) श्री फुल सिंह – सदस्य
   छ) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ज) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
   झ) श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य

2. गत परिषद् बैठक दिनांक 05.06.2004 एवं दिनांक 09.07.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि पर विचार।

   विचारोपरांत दिनांक 05.06.2004 एवं दिनांक 09.07.2004 को लिये गये निर्णय को संपुष्ट किया गया।

3. परिषद् के विभिन्न समितियों यथा दिनांक 24.04.2004, दिनांक 31.05.2004, दिनांक 18.06.2004 को हुई परीक्षा समिति तथा दिनांक 18.06.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की कार्यवाही का अनुमोदन पर विचार।

   परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विभिन्न समितियों यथा दिनांक 24.04.2004, दिनांक 31.05.2004, दिनांक 18.06.2004 को हुई परीक्षा समिति तथा दिनांक 18.06.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

4. परिषद् में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते का विलय एवं अतिरिक्त 2% वर्द्धित महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान करने के संबंध में विचार

   परिषद् द्वारा परिषद् में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को 01 जनवरी 2004 से अतिरिक्त 2% वर्द्धित महंगाई भत्ता का लाभ देने का निर्णय लिया गया। साथ ही 50% महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में निर्णय लिया

गया कि जिनकी सेवा झारखण्ड को सौंपी गई है उन पदाधिकारी/कर्मचारियों को यदि राज्य सरकार के अन्य विभागों में वित्त विभाग के तत्संबंधी पत्र का कार्यान्वयन हो रहा हो तो परिषद् के पदा०/कर्मचारियों को दी जाय। कुछ पदा०/कर्मचारियों की सेवा संवर्ग अभी भी पूर्ववर्ती बिहार का है प्रतिनियोजन भत्ता ले रहे है उनके संबंध में परिषद् की ओर से शीघ्र पहल करने का निर्णय लिया गया।

5. संविदा के आधार पर कार्यरत पदा०/कर्मचारियों को मानदेय भुगतान पर विचार।

विचारोपरांत परिषद् में संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय भुगतान के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक वर्ष पूरा होने के पश्चात ही एक महा का मानदेय दिया जाय।

6. संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की अविध का पुनर्नवीकरण पर विचार।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष कार्य की आवश्यकता को देखते हुए पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यदक्षता के आधार पर छः माह पुनर्नवीकरण करने के लिए अधिकृत किये जाते हैं। परिषद् की अगली बैठक में इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7. राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित पदाधिकारी श्री खगेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी को सुविधा प्रदान करने के संबंध में विचार।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो सुविधा पूर्व विशेष कार्य पदाधिकारी श्री आर० एन० त्रिपाठी को परिषद् द्वारा दी गयी थी, वही सुविधा उनके प्रतिस्थानी पदाधिकारी श्री खगेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी को दी जाय।

8. परिषद् की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने परिषद् के अध्यक्ष को राज्य के विषविद्यालय के कुलपति के समकक्ष वेतनादि देने का निदेश दिया है, उसके अधिसूचना जारी की गयी विश्वविद्यालय अनुरूप उसका अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा राज्य सरकार के पत्रांक 2/वि०।–468/03/1960 दिनांक 26.06.2004 के आलोक में परिषद् द्वारा ज्ञापित अधिसूचना संख्या एस०पी०ए० –18/04 दिनांक 14.07.2004 का अवलोकन करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय के वेतनादि संबंधी ज्ञापित अधिसूचना संख्या–18 दिनांक 14.07.2004 को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

9. परिषद् के माननीय सदस्यों को दूरभाश सबसिडी एक मुस्त राशि भुगतान करने पर विचार।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से परिषद् के माननीय सदस्यों को दूरभाष व्यय के लिए 6,000/– (छः हजार रुपये) वार्षिक सबसिडी भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

10. परिषद् के आन्तरिक अंकेक्षण कराने पर विचार।

सर्वसम्मति से आन्तरिक अंकेक्षण कराने के लिए श्री केशव हडौदिया, माननीय परिषद सदस्य को अधिकृत किया गया। अभी ए० जी० का अंकेक्षण कार्य चल रहा है इसकी समाप्ति के पश्चात् आन्तरिक अंकेक्षण कराया जाय।

11. वर्ष 2004 की परीक्षा में परीक्षकों की नियुक्ति के लिए तथा परीक्षाफल प्रकाशन की समीक्षा के लिए रिभ्यू कमिटी के गठन पर विचार।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गत वर्ष की परीक्षा में परीक्षकों की नियुक्ति तथा पीरक्षाफल समीक्षा के लिए रिभ्यू कमिटी गठित किया जाय। रिभ्यू कमिटी का गठन आगामी परिषद् की बैठक में किया जायेगा।

12. माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के चिकित्सा पर हुए व्यय की राशि भुगतान करने पर विचार।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय के चिकित्सा में जो भी राशि व्यय हुए हैं उसका वहन परिषद् द्वार किया जाय।

13. पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 20.07.2004 में लिये गये संदर्भित पुस्तकों की सूची परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी गयी।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 20.07.2004 को आयोजित बैठक में संदर्भित पुस्तकों की सूची परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

14. परिषद् में कार्यरत तदर्थ सहायकों के भविष्य निधि अंशदान कटौती के संबंध में विचार।

इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।

अनुमोदित।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 04.08.2004 के अष्टम् बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 04.08.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
   ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
   घ) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   ङ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   च) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   छ) श्री फुल सिंह – सदस्य
   झ) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ञ) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
   ट) श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य

2. गत परिषद् बैठक दिनांक 20.07.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि पर विचार। निम्नांकित संशोधनों के साथ गत परिषद की बैठक दिनांक 20.07.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

   क) कंडिका–4 में निम्नांकित संशोधन किया गया – कुछ पदाधिकारी कर्मचारी की सेवा संवर्ग अभी भी पूर्ववर्ती बिहार का है, प्रतिनियोजन भत्ता ले रहे हैं, के संबंध में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की ओर से बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

   ख) कंडिका–4 मूल वेतन के साथ 50% मंहगाई भत्ते के विलय के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिनकी सेवा झारखण्ड को सौंपी गई है, उन पदाधिकारियों/कर्मचारियों को यदि राज्य सरकार के अन्य विभागों में वित्त विभाग के तत्सबंधी पत्र का कार्यान्वयन हो रहा हो तो परिषद् के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भी "मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय की सुविधा दी जाय।

   ग) कंडिका–5 में निम्नांकित संशोधन किया गयाः–

परिषद् में संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को एक वर्ष पूरा होने के पश्चात ही "अतिरिक्त कार्य के लिए" एक माह का मानदेय दिया जाय।

घ) कंडिका–11 में निम्नांकित संशोधन किया गया।

वर्ष 2004 की परीक्षा में परीक्षकों की नियुक्ति तथा अन्य अनियमित्ता के संबंध में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई है, समेकित सूची बनाकर परिषद् की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

ङ) कंडिका–14 में यह संशोधन किया गया कि परिषद् कार्यालय में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों के वेतन से (जूलाई माह) भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जाय, तत्पश्चात विधि सम्मत राय प्राप्त की जाय।

3. परिषद् के समक्ष माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा गृह केन्द्र में आयोजित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के कार्यक्रम में इच्छा व्यक्त की हैं मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में सुविचारित मंतव्य से विभाग को अवगत कराने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया जो माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा गृह केन्द्र पर आयोजित करने से जुड़े हरेक पहलू पर विचार कर समिति की बैठक में अपनी अनुशंसाओं को रखेगी। इस समिति में निम्नांकित परिषद् सदस्य समिति के सदस्य होंगे।

(1) प्रो० दुखा भगत
(2) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी
(3) प्रो० आर० बी० सिंह
(4) डॉ० के० सी०प्रसाद
(5) प्रो० के० के० मिश्र

4. 02 सितम्बर, 2004 को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का स्थापना दिवस समारोह मानने के संबंध में विचार।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का स्थापना दिवस बनाने के लिए एक कार्यक्रम समिति बनाई गई। इस कार्यक्रम समिति के निम्नांकित सदस्य मनोनीत किए गए।

(1) प्रो० दुखा भगत
(2) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी
(3) डॉ० के० सी०प्रसाद

5. संविदा के आधार पर परिषद् में कार्यरत सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अवधि विस्तार का अनुमोदनं

संविदा के आधर पर परिषद् में कार्यरत सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अवधि विस्तार का अनुमोदन सेवा अवधि समाप्ति की तिथि से छः माह के लिए किया जाय।

6. सी०बी०एस० ई० पाठ्यक्रम में माध्यमिक स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा परीक्षा माध्यम है, पूर्व में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, उड़िया आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था, के संबंध में विचार।

परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति माध्यमिक स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा सहित उर्दू, बंगला, उड़िया, आदि भाषाएँ भी परीक्षा का माध्यम होंगे।

7. वर्ग नमव् एवं दशम् के सत्र 2004–2005 के लिए हिन्दी कोर्स "बी" के पुस्तकों के चयन के संबंध में विचार।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि वर्ग दशम् के लिए एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्रकाशित वर्ग–8 की हिन्दी की पुस्तक "भारती भाग–III" को माध्यमिक पाठ्यक्रम में हिन्दी कोर्स "बी" के लिए लागू किया जाय।

8. सी०बी०एस०ई० आधारित इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम अंगीकरण पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली (सी०बी०एस०ई०) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजे जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय माधयिमक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को इसके लिए धन्यवाद दिया जाय।

9. माध्यमिक स्तरीय एक विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का परीक्षा केन्द्र एक ही विद्यालय में रखने पर विचार।

परिषद् द्वारा माध्यमिक स्तरीय एक विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का परीक्षा केन्द्र एक ही विद्यालय में रखने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में उपायुक्तों को पूर्व में ही निदेश भेजने का निर्णय लिया गया, ताकि निर्णय का कार्यान्वयन आगामी माध्यमिक परीक्षा में हो सके।

10. महिला कॉलेज, चाईबासा (अंगीभूत) को वाणिज्य संकाय में अध्यापन की अनुमति तथ कला संकाय में एक सेक्शन सीट वृद्धि की अनुमति परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याषा में दी गई थी। आज परिषद् की बैठक में उक्त निर्णय की संपुष्टि की गयी।

11. अन्नदा महाविद्यालय, हजारीबाग में इंटरमीडिएट खण्ड की स्थायी प्रस्वीकृति एवं तीनों संकायों में दो–दो सेक्शन सीट वृद्धि हेतु अनुरोध किया है।

कॉलेज डिग्री संबद्धन महाविद्यालय है, के इंटर खण्ड की प्रस्वीकृति एवं सीट वृद्धि पर विचार।

परिषद् द्वारा अन्नदा महाविद्यालय, हजारीबाग के तीनों संकायों में शिक्षा सत्र 2004–2006 के लिए हरेक संकाय में 640 नामांकन करने के स्वीकृति दी गई।

12. संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय, राँची को इंटर खण्ड के कला संकाय में एक सेक्शन सीट वृद्धि के संबंध में विचार। यह डिग्री संबद्ध महाविद्यालय है।

संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय, पण्डरा, राँची को इंटर खण्ड के कला संकाय में एक सेक्शन सीट वृद्धि के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि निरीक्षण के उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

13 क) एस०बी०एस०एस०पी०एस० जनजातीय महाविद्यालय, गोड्डा शिबु सोरेन जनजातीय महाविद्यालय, बोरियो एवं अहसान आलम मेमोरियल महाविद्यालय, धनबाद में निम्न विषयों के सामंजन के संबंध में विचार, जिसका उल्लेख नये पाठ्यक्रम में नहीं है– प्रचीन इतिहास श्रम एवं समाज कल्याण, ग्रामीण अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, गांधीयन विचार।

ख) प्रधानाचार्य, जे०एम० कॉलेज, भुरकुण्डा के पत्र पर श्रम एवं समाज कल्याण विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के स्थिति स्पष्ट करने पर विचार।

ग) संत तुलसी दास इंटर कॉलेज, रेहला द्वारा प्रेषित पत्र पर एक विषय के रूप में प्राचीन इतिहास की स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में विचार।

परिषद् द्वारा निम्न विषयों के व्याख्याताओं के संबंध में निर्णय लिया गया कि बिना परिषद की अनुमति के न तो इन्हें हटाया जाय और न ही नई नियुक्ति किया जाय।

इन विषयों के शिक्षक विषय के सामने अंकित मूल विषय का अध्यायन करेंगे–

क)	प्राचीन इतिहास	–	इतिहास
ख)	श्रम एवं समाज कल्याण	–	समाजशास्त्र
ग)	ग्रामीण अर्थशास्त्र	–	अर्थशास्त्र
घ)	लोक प्रशासन	–	राजनीतिशास्त्र
ङ)	गाँधीयन विचार	–	दर्शनशास्त्र/तर्कशास्त्र

इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी सूचना विज्ञप्ति द्वारा दे दी जाय।

14. परिषद द्वारा निम्नांकित महाविद्यालयों में एक शिक्षा सत्र 2004–2006 के लिए कला संकाय में एक–एक सेक्शन अर्थात् 128 की संख्या में सीट वृद्धि करने का निर्णय लिया गया–

क) बिरसा कॉलेज, खूंटी

ख) बलदेव साहु महाविद्यालय, लोहरदग्गा

ग) एस० एस० एल० एन० टी० महाविद्यालय, धनबाद

घ) के०बी० महिला महाविद्यालय, हजारीबाग

ङ) जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर

च) चतरा कॉलेज, चतरा

छ) योद्यसिंह नामधारी महिला महाविद्यालय, डाल्टेनगंज

ज) टाटा कॉलेज, चाईबासा

झ) पी०पी० के० कॉलेज, बुण्डू

15. परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि इंटर कॉलेजों में कम्प्यूटर की पढ़ाई से संबंधित यदि आधारभूत संरचना उपलबध हो तभी उस महाविद्यालय में कम्प्यूटर की पढ़ाई होगी, लेकिन इसके लिए परिषद् से पूर्वानुमति लेनी होगी।

16. विभाग के इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष से पढ़ाई जाने वाली संदर्भ पुस्तकों की सूची परिषद के पत्रांक एस०पी०ए०–37 दिनांक 27.07.2004 द्वारा अनुमोदन हेतु भेजी गयी है, परन्तु विभाग से अभी तक अनुमोदित सूची प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः छात्र हित में संदर्भ पुस्तकों की सूची सभी इंटर स्तरीय संस्थानों को भेज दी जाय। यदि विभाग से संशोधित सूची प्राप्त होती है तो महाविद्यालयों को संशोधित सूची की जानकारी बाद में दे दी जाए।

17. परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अंगीभूत महाविद्यालयों का सीट वृद्धि एवं इंटर स्तर पर पढ़ाई के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की अनुशंसा आवश्यक होगी।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 17.08.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 17.08.2004 को 12.30 बजे अपराह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ग) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   घ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   ङ) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
   च) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   छ) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
   ज) श्री कृष्णानन्द शर्मा –आमंत्रित सदस्य
   शिक्षक, के० बी० बालिका उच्च विद्यालय, रातू, राँची
   झ) श्री जय कुमार पाठक
   शिक्षक, संत जॉन्स उच्च विद्यालय, राँची

2. समिति के समक्ष उच्चतर माध्यमिक स्तरीय संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित एन०सी०ई० आर० टी०, नई दिल्ली में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों के द्वारा दिये गये सुझाव के संबंध में विचार।

   विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माध्यमिक स्तरीय संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित झारखण्ड में वर्ग–6 से वर्ग–8 तक "संस्कृत–धारा प्रथमों भागः", "संस्कृत धारा द्वितीय भागः, एवं "संस्कृत धारा तृतीयों भागः" के बदले श्रेयसी प्रथमों भागः, श्रेयसी द्वितीयो भागः एवं श्रेयसी तृतीयो भागः पुस्तक चलाये जाने के संबंध में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को अनुशंसित किया जाय। चूंकि इस सत्र से पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए अगले सत्र से ही इन पुस्तकों को लगू किया जाय, इस आशय की अनुशंसा विभाग को भेजा जाय।

3. वर्ग–9 में व्याकरण पुस्तक के रूप में मपिका प्रथम भाग (अभ्यास पुस्तिका) चलाया जाय। अभी वर्त्तमान में वर्ग–9 में व्याकरण पुस्तक के रूप में कोई पुस्तक नहीं चलाया जा रहा था।

अतः इस सत्र से चलाने का निर्णय लिया गया तथा इसकी अनुशंसा विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. उच्चतर माध्यमिक स्तर में संस्कृत भाषा के लिये पाठ्यक्रम वर्ग–11 एवं वर्ग– 12 के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिये एन०सी०ई०आर०टी० नई दिल्ली ने जिन पुस्तकों को निर्धारित किया है, उन पुस्तकों को अगले शिक्षा सत्र से लागू करने पर विचार किया जायेगा वर्त्तमान शिक्षा सत्र में सी०बी०एस०ई० द्वारा निर्धारित पुस्ताकों को ही अंगीकृत कर पढ़ाई आरंभ कर दिया गया है, इसलिये इसे अलगे शिक्षा सत्र में ही चालू करने पर निर्णय लिया गया।

5. इंटरमीडिएट परीक्षा में उर्दू, बंगला एवं उड़िया भाषा को लिपि के रूप में जोड़ने के संबंध में विचार।

समिति द्वारा उर्दू, बंगला एवं उड़िया भाषा को तत्काल परीक्षा का माध्यम नहीं बनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि परिषद् की पंचम बैठक दिनांक 05.06.2004 को ही यह निर्णय लिया गया कि "सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम पर आधारित इंटरमीडिएट+2 की परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र चयन किये जाने एवं परीक्षार्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का भी निर्णय लिया गया।

6. "गुरूमुखी" को इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में शामिल करने के संबंध में विचार।
समिति द्वारा तत्काल "गुरूमुखी" को इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया। चूँकि गुरूमुखी लिपि है, भाषा नहीं है।

7. क्षेत्रीय भाषा "अंगिका" को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पाठ्यक्रम में शामिल करने के संबंध में विचार।

समिति द्वारा तत्काल क्षेत्रीय भाषा "अंगिका" को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया।

ह/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 24.08.2004 को हुई परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 24.08.2004 को 12.30 बजे अपराह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी, विशेष आमंत्रित – सदस्य
   घ) श्री फुल सिंह विशेष आमंत्रित – सदस्य
   ङ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   च) प्रो० दुखा भगत – सदस्य

2. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा परीक्षा, 2002 में छूटे हुए एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त सत्र 1997–98 से लेकर सत्र 2000–2001 तक सेवा कालीन शिक्षकों को विशेष परीक्षा में सम्मिलित किए जाने पर विचार।

परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा परीक्षा, 2002 में छूटे हुए एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त सेवाकालीन शिक्षकों को विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर दिया जाय। यह परीक्षा अक्टूबर 2004 में आयोजित की जाय। संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा उन परीक्षार्थियों की एक सूची बनाकर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को समर्पित करेंगे। जिसमें यह उल्लेखित हो कि किन कारणों से वे 2002 की पूर्व परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। प्राचार्यों द्वारा तैयार संबंधित सूची को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अपनी अनुशंसा के साथ परिषद् को भेजेंगे।

3. जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा के पत्र पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा याचिका संख्या– डब्लू० पी० एस० नं० – 6611/2003 में पारित आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में विचार। यह आदेश सत्र 2001–2002 में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रेहला, सतबरवा एवं लातेहार से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सेवारत शिक्षकों की परीक्षा आयोजन करने से संबंधित है।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2001–2002 के प्रशिक्षाणर्थियों के लिए परीक्षा आयोजन करने के संबंध में विभाग से अनुमति या निदेश प्राप्त करने के उपरांत ही परीक्षा आयोजित की जाय।

4. सत्र 2001–2002 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवघर के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालयों के सेवारत प्रशिक्षणार्थियों को भी विशेष परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के संबंध में विचार।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सत्र 2001–2002 तथा आगे के सत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके विभिन्न महाविद्यालयों के सेवाकालीन प्रशिक्षाणर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विभाग से निदेश प्राप्त किया जाय।

5. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2004 में उर्दू एवं परसियन को भाषा–1 एवं 2 के रूप में जो छात्र लेकर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल इनभेलिड किया गया है, के संबंध में विचार।

निर्णय लिया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2004 में उर्दू एवं परसियन को भाषा–1 एवं 2 के रूप में तथ अंग्रेजी को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर सम्मिलित हुए हैं, तो विशेष परिस्थिति में छात्रहित में उनके इनभेलीड परीक्षाफल को विलोपित करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जाय। परन्तु इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने हेतु विभाग को लिखा जाय तथा जिम्मेवार परिषद् के संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

6. दिनांक 24.08.2004 से मध्यमा परीक्षा प्रारंभ हो रही है तथा मदरसा परीक्षा, 8 सितम्बर, 2004 से प्रारंभ हो रही है, इंटर व्यावसायिक परीक्षा, 2004 दिनांक 17.08.2004 से दिनांक 20.08.2004 तक संचालित हुई, की सूचना सभी सदस्यों को देने के संबंध में।

सभी सदस्यों को विभिन्न परीक्षा के आयोजन के संबंध में जानकारी दी गई। सदस्यों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा अयोजन के 15 दिनों के पूर्व ही परीक्षा संबंधी जानकारी यथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी, परीक्षार्थियों की संख्या की जानकारी इत्यादि सदस्यों को दी जाय।

7. वर्ग–9 एवं वर्ग–11 की वार्षिक परीक्षा के संबंध में विचार।

(शुल्क, तिथि आदि के संबंध में)

परीक्षा स्तर की एकरूपता बनाये रखने के लिए वर्ग–9 तथा वर्ग–11 की परीक्षा परिषद् के स्तर से ही करने का निर्णय लिया गया। इंटर की परीक्षा के संबंध में आदर्श प्रश्न पत्र दिसम्बर, 2004 में तैयार करने का निर्णय लिया गया। वर्ग–9 की वार्षिक परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए 25/– (पच्चीस रुपये) परीक्षा शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। वर्ग–11 के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क 35/– (पैंतीस रुपये) निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। दोनों वार्षिक परीक्षाएँ मार्च, 2005 के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 13.09.2004 को हुई परिषद् बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 13.09.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
   ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
   घ) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   ङ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   च) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   छ) श्री फुल सिंह – सदस्य
   ज) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   झ) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
   ञ) श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य

2. गत परिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि पर विचार।

   निम्नांकित संशोधनों के साथ गत परिषद् बैठक दिनांक 04.08.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि की गईः–

   क) कंडिका–11 के निर्णय में अधोलिखित संशोधन किया गयाः–
   परिषद् द्वारा अन्नदा महाविद्यालय, हजारीबाग के तीनों संकायों में शिक्षा सत्र 2004–2006 तथा 2005–2007 के लिए हरेक संकाय में 640 नामांकन करने की स्वीकृति दी गई।

   ख) कंडिका–12 में अधोलिखित संशोधन निम्न भाग में किया गयाः–
   संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय, पण्डरा, राँची को इंटर खण्ड के कला संकाय में एक सेक्शन सीट वृद्धि के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि निरीक्षणोपरांत आगे की कार्रवाई की जाय।

3. झारखण्ड अधिविद्य की बैठक में संलेख संख्या–2 को रखा गया। संलेख संख्या–2 में वर्णित प्रावधान नीचे उद्धृत हैः–

   (1) बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम–1992 प्राख्यापन के पूर्व बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अध्यादेश 1980, 1987 पर चलता था। अध्यादेश में यह स्पष्ट प्रावधान था कि परिषद् को इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। वर्ष 1985

में परिषद् विघटित कर दिया गया था। विघटन की पाँच वर्ष की अवधि में मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा) को प्रस्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था। परिषद् के विघटन की अवधि में राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की गई और प्रस्वीकृति पत्र में अवधि समाप्ति का कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रस्वीकृति स्थायी तौर पर मानी जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के महाविद्यालयों को परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है। इन महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति को स्थायी मानते हुए राज्य सरकार को उन्हें अनुदानित करने का प्रस्ताव भेज सकती है।

(2) बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम 1992 के पूर्व से जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय है, जिनकी प्रस्वीकृति को स्थायी प्रस्वीकृति मानते हुए राज्य सरकार से उन्हें अनुदानित करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है इस तरह के माहवद्यिलायों की सूची परिशिष्ट 'ख' में दर्शाया गया है।

विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि सभी महाविद्यालयों की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु ऐसे सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण माननीय परिषद् सदस्यों द्वारा कराया जाय। निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर परिषद् की अगली बैठक में संलेख संख्या–2 में वर्णित महाविद्यालयों की स्थायी प्रस्वीकृति के संबंध में विचार किया जायेगा।

4. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक में संलेख संख्या–3 को अनुमोदनार्थ रखा गया। संलेख संख्या–3 में वर्णित प्रावधान निम्नांकित हैः–

"झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियिम–2002 की धारा–29 के अधीन यह प्रावधान है कि जब तक इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन राज्य सरकार नियमावली एवं विनियम बनाती है जिसकी अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी, तब तक बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम 1992 (बिहार अधिनियम 26,1992), बिहार विद्यालय समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7,1952) (झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् अधिनियम 2000) के रूप में अंगीकृत, बिहार संस्कृत शिक्षा समिति अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 32,1982) के अधीन निर्मित नियमावली एवं विनियम, जो इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व लागू था, स्वतः समाप्त होते हुए भी सक्षम प्राधिकार के द्वारा संशोधित एवं अंगीकृत होने के उपरांत लागू समझा जायेगा और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली एवं विनियम माना जाएगा।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का गठन दिनांक 02.09.2003 को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–2491 के द्वारा किया गया है। एक वर्ष की

अवधि दिनांक 01.09.2004 को समाप्त हो गई है। राज्य सरकार को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।

अतः परिषद् यह संकल्प लेना चाहेगी कि जब तक नये नियम, विनियम एवं नियमावली राज्य सरकार द्वारा निर्मित नहीं होती है, तब तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम की धारा–29 के अनुसार परिषद् का कार्य संपादन किया जा सकता है। राज्य सरकार को इस संकल्प से अवगत कराया जा सकता है।

सर्वसम्मति से झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के संलेख संख्या–3 को अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को संलेख संख्या–3 में लिये गये संकल्प से अवगत कराया जाय।

5. परिषद् की विभिन्न समितियों यथा दिनांक 17.08.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति, दिनांक 24.08.2004 को हुई परीक्षा समिति की कार्यवाही का अनुमोदन।

परिषद् की विभिन्न समितियों यथा दिनांक 17.08.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति, दिनांक 24.08.2004 को हुई परीक्षा समिति की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

6. परिषद् के अंतरिक अंकेक्षण पर विचार।

परिषद् के लेखाओं के आंतरिक अंकेक्षण करने पर विचार किया गया। परिषद् के सदस्य श्री केशव कुमार हडौदिया द्वारा प्राप्त पत्र परिषद् के समक्ष रखा गया। चाटर्ड एकाउन्टेंसी फर्म से प्राप्त इम्पैनलमेंट के आवेदन (1) मेसर्स एस० अडुकिया एण्ड एसोशियेट्स, राँची एवं (2) मेसर्स कविता अग्रवाल एण्ड कंपनी, झरिया परिषद् के समक्ष रखे गये। यह तय हुआ कि एक और फर्म को पैनल में शामिल किया जाय। इन तीनों फर्म में से किसी एक फर्म को परिषद् का आंतरिक अंकेक्षण कराने की जावाबदेही अध्यक्ष एवं परिषद् सदस्य श्री केशव कुमार हडौदिया को दी गई।

7. माध्यमिक परीक्षोत्तीर्ण छात्र परंतु अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण को इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में अंग्रेजी ऐच्छिक (Elective) के रूप में रखने के संबंध में विचार।

परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी में जो छात्र अनुर्त्तीण घोषित किए गये हों, इंटर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी ऐच्छिक (Elective) विषय के रूप में रख सकता है। ऐसे छात्र अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी 'ए' केन्द्रिक (हिन्दी भाषियों के लिए) अथवा हिन्दी 'बी' केन्द्रिक (अहिन्दी भाषियों के लिए) रख सकते हैं।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या – 2

1. बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम – 1992 प्राख्यापन के पूर्व बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अध्यादेश 1980, 1987 पर चलता था। अध्यादेश में स्पष्ट प्रावधान था कि परिषद् को इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति प्रदान करने का अधिकारी है। वर्ष 1985 में परिषद् विघटित कर दिया गया था। विघटन की पाँच वर्ष की अवधि में मानव सांसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा) को प्रस्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था। परिषद् के विघटन की अवधि में राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की गयी और प्रस्वीकृति पत्र में अवधि समाप्ति का कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रस्वीकृति स्थायी तौर पर मानी जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति विस्तार की आवश्यकता नहीं है इस तरह के महाविद्यालयों की सूची परिषिष्ट 'क' में दर्शाया गया है। इन महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति को स्थायी मानते हुए परिषद् राज्य सरकार को उन्हें अनुदानित करने का प्रस्ताव भेज सकती है।
2. बिहार इंटरमीडिट शिक्षा परिषद् अधिनियम 1992 के पूर्व से जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय है जिनकी प्रस्वीकृति परिषद् ने दे दी है और उनके अवधि विसतार की आवश्यकता नहीं है, उन महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति को स्थायी प्रस्वीकृति मानते हुए राज्य सरकार से उन्हें अनुदानित करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस तरह के महाविद्यालयों की सूची परिषिष्ट 'ख' में दर्शाया गया है।

ह/–
विशेष कार्य पदाधिकारी
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या–3

"झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम–2002 की धारा – 29 के अधीन यह प्रावधान है कि जबतक इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन राज्य सरकार नियमावली एवं विनियम बनाती है जिसकी अवधि अधिकतम एक वर्ष की होगी, तब तक बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम 1992 (बिहार अधिनियम 26,1992), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (बिहार अधिनियम 7,1952) (झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् अधिनियम 2000) के रूप में अंगीकृत, बिहार संस्कृत शिक्षा समिति अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 32,1982) के अधीन निर्मित नियमावली एवं विनियम, जो इस अधिनियम को लागू होने के ठीक पूर्व लागू था, स्वतः समाप्त होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा संशोधित एवं अंगीकृत होने के उपरांत लागू समझा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली एवं विनियम माना जायेगा।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का गठन दिनांक 02.09.2003 को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–2491 के द्वारा किया गया है। एक वर्ष की अवधि दिनांक 01. 09.2004 को समाप्त हो गयी है। राज्य सरकार को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है।

अतः परिषद् यह संकल्प लेना चाहेगी कि जब तक नये नियम, विनियम एवं नियमावली राज्य सराकर द्वारा निर्मित नहीं होती है तबतक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की धारा–29 के अनुसार परिषद् का कार्य संपादन किया जा सकता है। राज्य सरकार को इस संकल्प से अवगत कराया जा सकता है।

ह/–
विशेष कार्य पदाधिकारी
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

बि० इ० शि० प०, पटना के विघटन अवधि में राज्य सरकार (बिहार) द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त महा० की सूची

1. कमला लेहरू कॉलेज, टाटीसिल्वे, राँची — कला, वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 15 / ए1–025 / 86 दिनांक 30.09.86
2. लाल मोहन नाथ शहदेव कॉलेज, इटकी, राँची — कला, विज्ञान, वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 15पी1–012 / 88 दिनांक 09.01.88
3. बेथेसदा वीमेंस महाविद्यालय, राँची — कला, विज्ञान
   वी०आई०ई०सी० / 1081 / ए० दिनांक 16.12.88
4. संत पॉल्स इंटर महाविद्यालय, राँची — कला,विज्ञान, वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 443 / ए० दिनांक 20.02.88
5. संत जोसेफ इंटर कॉलेज, तोरपा राँची — कला, विज्ञान, वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 295ए० दिनांक 31.10.87
6. संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय, राँची — कला, विज्ञान, वाणिज्य
   राज्य सरकार के ज्ञापांक 1396 दिनांक 30.08.86
7. कुरडेग महाविद्यालय, कुरडेग — कला, विज्ञान, वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 14 / ए० दिनांक 17.06.88
8. एस० के० बागे महाविद्यालय, कोलेबिरा — कला
   अधिसूचना संख्या 1 / 82 ज्ञापांक संख्या 988 / 080 दिनांक 15.09.89
9. आसनबोनी इंटर महाविद्यालय, आसनबोनी — कला विज्ञान, वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 080 / ए० दिनांक 10.04.87
10. बी०डी०एस० एल० सीटी महिला महाविद्यालय, घाटशीला — कला वाणिज्य
    वी०आई०ई०सी० / 426 / ए० दिनांक 30.09.88
11. मिसेज के०एम०पी०एम० इंटर कॉलेज, जमशेदपुर — कला विज्ञान वाणिज्य
    वी०आई०ई०सी० / 299 / ए० दिनांक 07.11.89
12. छोटानागपुर महा० हंसदा सिंभूम — कला विज्ञान वाणिज्य
    वी०आई०ई०सी० / 291 / ए० दिनांक 23 / 10 / 87
13. मजदूर किसान इंटर महाविद्यालय, पांकी पलामू — कला विज्ञान
    वी०आई०ई०सी० / 273 / ए० दिनांक 9.10.87
14. डॉ० जगरन्नाथ मिश्र इंटर महा० डाल्टेनगंज — कला
    वी०आई०ई०सी० / 318 / ए० दिनांक 7.06.86
15. राजगंज कॉलेज, राजगंज, धनबाद — कला विज्ञान वाणिज्य

वी०आई०ई०सी० / 899 / ए० दिनांक 06.02.87

16 पंडित नेहरू मेमोरियल महा० गोमो, धनबाद — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 149 / ए० दिनांक 22.07.87

17 जे० पी० के० कॉलेज, ऑफ कम्पीटेंस मंइन्स, गिरिडीह —कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 761 / ए० दिनांक 05.08.88

18. जे० एस० कॉलेज, भुरकुण्डा, हजारीबाग — कला विज्ञान, वाणिज्य
बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग 13 / ए० 066 / 32 दिनांक 30.09.88

19 लगटा बाबा इंटर कॉलेज, बाबग्राम , गिरिडीह — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 20 / ए० दिनांक 3.12.86

20 कालू राग मोदी वनांचल महा०, गिरिडीह — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 889 / ए० दिनांक 31.1.87

21. नाला इंटर कॉलेज, नाला, दुमका — कला विज्ञान
वी०आई०ई०सी० / 893 / ए० दिनांक 28.09.88

22 शिकारीपाड़ा इंटर महा० शिकारीपाड़ा, दुमका — कला
वी०आई०ई०सी० / 158 / ए० दिनांक 25.07.87

23 रेहला इंटर महाविद्यालय, साहेबगंज — कला
वी०आई०ई०सी० / 614 / ए० दिनांक 03.03.88

24 एस० के० स्म० इंटर महा० महेशपुर राज, पाकुड — कला विज्ञान
बिहार राज्य सरकार / 12 / 39 दिनांक 08.09.88

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

वि० इ० शि० प० पटना द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त

महाविद्यालयों की सूची

1. सरदार पटेल महिला महाविद्यालय, धुर्वा, राँची — कला विज्ञान वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 299 / ए० दिनांक 22.08.89
2. कार्तिक उराँव महाविद्यालय, रातु, राँची — कला विज्ञान वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 535 / ए० / 89 दिनांक 18.12.89
3. डुमरी महाविद्यालय, डुमरी, गुमला — कला
   वी०आई०ई०सी० / 241 / ए० दिनांक 16.05.90
4. टाना भगत महा०, धाधरा, गुमला — कला वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 74 / ए० दिनांक 25.01.90
5. पम्पापुर महा० पालकोट, गुमला — कला विज्ञान वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 234 / ए० दिनांक 11.5.90
6. एम० एल० ए० महिला महा०, लोहरदगा — कला विज्ञान
   वी०आई०ई०सी० / 250 / ए० दिनांक 18.5.90
7. कबीर मेमोरियल इंटर महाविद्यालय, धतकीडीह, जमशेदपुर — कला वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 192 / ए० दिनांक 11.04.90
8. ए० जे० के० कॉलेज, मानगो जमशेदपुर — कला विज्ञान वाणिज्य
   वी०आई०ई०सी० / 786 / ए० दिनांक 05.03.82
9. कबीर वीमेंस कॉलेज, नानीनगर, मानगो — कला
   वी०आई०ई०सी० / 563 / ए० दिनांक 23.12.89
10. स्टील सिटी महा० जमशेदपुर — कला विज्ञान वाणिज्य
    वी०आई०ई०सी० / 623 / ए० दिनांक 11.01.90
11. जे० के० एस० कॉलेज, ऑफ कॉमर्स मानगो, जमशेदपुर — कला विज्ञान वाणिज्य
    वी०आई०ई०सी० / 299 / ए० दिनांक 11.01.90
12. पटमदा महा० पटमदा, जाला, — कला विज्ञान वाणिज्य
    वी०आई०ई०सी० / 4523 / ए० दिनांक 24.10.89
13. श्यामा प्रसाद इंटरमीडिएट महा० खासमहल —कला विज्ञान वाणिज्य
    कला— वी०आई०ई०सी० / 539 / ए० दिनांक 24.01.84
    विज्ञान वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 8354 / ए० दिनांक 05.10.82
14. शहीद भगत सिंह इंटर महा० जपला, पलामू — कला विज्ञान
    वी०आई०ई०सी० / 0 / 8918 दिनांक 15.02.83

15. तुलसी दास इंटर महा०, रेहला पलामू — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 85 / 06 दिनांक 20.11.82

16 मोती राज महिला इंटर महा० हरिहरगंज पलामू — कला
वी०आई०ई०सी० / 514 / ए० दिनांक 15.12.89

17 ब्राज किशोर सिंह इंटर महा०, हरिहरगंज पलामू — कला
वी०आई०ई०सी० / 705 / ए० दिनांक 27.06.88

18 गांधी इंटर कॉलेज, लातेहार — कला
वी०आई०ई०सी० / 634 / ए० दिनांक 7.5.88

19 अवधेष कुमार सिंह इंटर महा०, कुन्दरी — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 585 / ए० दिनांक 4.1.90

20 चद्रशेखर दूबे इंटर महा० चेचया राजहरा — कला वाणिज्य
विज्ञान वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 41 / एस०एस०कॉल / स्थापना–9 / 08 / 95
कला वी०आई०ई०सी० / 560 / ए० दिनांक 08.03.91

21 राम मनोहर लोहिया स्मारक इंटर महा० डाल्टेनगंज, पलामू — कला
वी०आई०ई०सी० / 1587 / स्म०सी०83–84 दिनांक 8.12.83

22 भीष्म नारायण सिंह इंटर महा०, डाल्टेनगंज, पलामू —कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 85 / 04 दिनांक 19.11.82

23 कर्णपूरा महा०, बडकागाँव, हजारीबाग — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 540 / ए० दिनांक 14.02.91

24 बरही इंटर कॉलेज बरही, हजारीबाग —कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 563 / ए० दिनांक 11.03.91

25 बी० डी० जे० इंटर कॉलेज, झुमरा, हरती, हजारीबाग — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 1 / ए० दिनांक 03.02.90

26. चितपुर इंटर महाविद्यालय, चितरपुर, हजारीबाग — कला वाणिज्य
वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 271 / ए० दिनांक 27.09.94
कला वी०आई०ई०सी० / 570 / ए० दिनांक 14.03.91

27 इंदिरा गांधी श्रमिक इंटर महाविद्यालय, माण्डू — कला वाणिज्य
कला वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 128 / सी० कॉल / स्टेव / 92 दिनांक 26.02.92
विज्ञान वी०आई०ई०सी० / 285 / एस०सी० / 94 दिनांक 26.11.94

28 आर० एन० एस० इंटर कॉलेज, हंटरगंज
कला वी०आई०ई०सी० / 279 / ए० दिनांक 11.08.79
विज्ञान वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 77 / ए० दिनांक 21.02.90

29. आर० एल० एस० वाई० कॉलेज, झुमरी तिलैया — कला वाणिज्य

कला वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 75 / ए० दिनांक 5.4.90
विज्ञान वी०आई०ई०सी० / 04 / एसी० / सी० कॉल / स्टेव / 95 दिनांक 17.02.95

30 वी०वी०एम० कॉलेज, बलियापुर, धनबाद — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 899 / ए० दिनांक 06.02.87

31 एस० एच० स्म० एस० कॉलेज, कुमारडुबी, धनबाद — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 524 / ए० दिनांक 17.01.84

32 बाधमारा कॉलेज, बाधमारा, धनबाद — कला विज्ञा वाणिज्य

33 तेनुघाट इंटर महा० तेनुघाट, बोकरो — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 60 / ए० दिनांक 21.02.89

34 रणविजय स्मारक इंटर महा० चास, बोकरो — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 105 / एस० सी० कॉल / स्टेव / 97 दिनांक 03.09.97

35 स्वामी सहजानंद इंटर महा०, चास — कला वाणिज्य विज्ञान
वी०आई०ई०सी० / 469 / ए० दिनांक 20.12.90

36 झारखण्ड कॉमर्स कॉलेज, डुमरी, गिरीडीह — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 532 / ए० दिनांक 23.01.84 कला वाणिज्य
विज्ञान वी०आई०ई०सी० / 263 / ए० स० कॉल / ई०एस०टी० / 94 दिनांक 19.09.94

37 वी० जे० ए० इंटर महाविद्यालय, कुश्डटीट, जामताड़ा — कला विज्ञान
वी०आई०ई०सी० / 525 / ए० दिनांक 18.01.84

38 जे० जे० एस० इंटर कॉलेज, मिहिजाम, जामताड़ा — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 560 / ए० दिनांक 22.12.89

39 एच० एल० एस० इंटर कॉलेज, रानीबाग, दुमका — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 118 / ए० दिनांक 17.03.90

40 डॉ० जे० स्म० इंटर कॉलेज, काठी कुंड, दुमका — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 350 / ए० दिनांक 20.07.90

41 ए०स्म० इंटर महा० दुमका — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 263 / ए० दिनांक 01.08.89

42 एम० जी० इंटर कॉलेज, रानेश्वर, दुमका — कला वाणिज्य
कला वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 2 / ए० दिनांक 5.1.89
विज्ञान वी०आई०ई०सी० / 25 / स्टेव / 93 दिनांक 02.03.93

43 पंडित विनोदानंद झा मेमोरियल इंटर महा०, देवघर — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 281 / ए० दिनांक 18.8.89

44. वी० वी०ए० इंटर महा०, बरहेट साहेबगंज — कला
वी०आई०ई०सी० / 204 / ए० दिनांक 18.04.90

45. वी० एल० एन० एल० बोहरा इंटर महा०, राजमहल — कला वाणिज्य

वी०आई०ई०सी० / 289 / ए० दिनांक 06.03.82

46 बी० एस० उ० महिला इंटर महा०, बरहरवा — कला
वी०आई०ई०सी० / 284 / ए० दिनांक

47. तीनपहाड़ इंटर महा० तीनपहाड़ —कला
वी०आई०ई०सी० / 305 / ए० दिनांक 13.06.90

48 महिला महा०, पथरगामा, गोड्डा — कला विज्ञान
वी०आई०ई०सी० / 585 / ए० दिनांक 05.04.91

49 एस०आर०एल०जी० महा०, हनवारा, गोड्डा — कला वाणिज्य
कला वाणिज्य वी०आई०ई०सी० / 199 / ए० दिनांक 17.04.90
विज्ञान वी०आई०ई०सी० / 25 / एस०पी०सी०ओ० दिनांक 21.06.95

50 इंटर महा०, गोड्डा — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 439 / ए० दिनांक 19.11.90

51 एस० आर० टी० जे० जे० कॉलेज, भतखोरिया, गोड्डा — कला वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 248 / ए० दिनांक 17.05.90

52 एस० वी० एस० एन० पी० जनजाति कॉलेज, पथरगामा, गोड्डा — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 687 / ए० दिनांक 20.01.90

53 वीर कुँवर सिंह कॉलेज, गोड्डा — कला
दिनांक 24.12.92

54. आदिवासी इंटर कॉलेज, लालमटिया, गोड्डा — कला
पी० आई० ई० सी० / 74 / एस० पी० दिनांक 28.05.97

55 सूरजमंडल इंटर महा० पौडैयाहाट, गोड्डा — कला विज्ञान वाणिज्य
वी०आई०ई०सी० / 76 / एस०पी० दिनांक 28.06.97

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 28.09.2004 को हुई परिषद् बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 28.09.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० दुखा भगत – सदस्य
   ग) श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
   घ) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   ङ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य
   च) फूल सिंह – सदस्य
   छ) डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
   ज) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
   झ) श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य

2. गत परिषद् की बैठक दिनांक 13.09.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि पर विचार।

   गत परिषद् की बैठक दिनांक 13.09.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से की गई।

3. बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम 1992 के पूर्व प्रस्वीकृत इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की स्थिति संलेख संख्या–2 तथा माननीय परिषद् सदस्यों द्वारा निरीक्षित महाविद्यालयों की स्थिति पर विचार।

   झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक में संलेख संख्या–2 को रखा गया। संलेख संख्या–2 में वर्णित प्रावधान नीचे उद्धृत हैः–

   (1) बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम – 1992 प्राख्यापन के पूर्व बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अध्यादेश 1980, 1987 पर चलता था। अध्यादेश में यह स्पष्ट प्रावधान था कि परिषद् को इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। वर्ष 1985 में परिषद् विघटित कर दिया गया था। विघटन की पाँच वर्ष की अवधि में मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा) को प्रस्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था। परिषद् के विघटन की अवधि में राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को प्रस्वीकृति प्रदान की गई और प्रस्वीकृति पत्र में अवधि समाप्ति का कोई

उल्लेख नहीं है। यह प्रस्वीकृति स्थायी तौर पर मानी जाती रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के महाविद्यालयों को परिषिष्ट 'क' में दर्शाया गया है। इन महाविद्यालयों की प्रस्वीकृति को स्थायी मानते हुए राज्य सरकार को उन्हें अनुदानित करने का प्रस्ताव भेज सकती है।

2. बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम 1992 के पूर्व से जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय हैं, जिनकी प्रस्वीकृति को स्थायी प्रस्वीकृति मानते हुए राज्य सरकार से उन्हें अनुदानित करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस तरह के महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'ख' में दर्शाया गया है।

इस संबंध में गत् परिषद् बैठक दिनांक 13.09.2004 में लिए गए निर्णय के आलोक में माननीय परिषद् सदस्यों द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन परिषद् की बैठक में रखा गया।

क) संलेख संख्या–2 में वर्णित प्रावधान तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित महाविद्यालयों को स्थायी प्रस्वीकृत मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि सूची में अंकित महाविद्यालयों को अनुदान हेतु राज्य सरकार के पास अनुशंसा भेजी जायः–

क्र० सं०	महाविद्यालयों का नाम	प्रस्वीकृत संकाय	प्रस्वीकृति का पत्रांक, दिनांक	निर्णय
1	संत जोसेफ इंटर महा०, तोरपा, राँची	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/295A Dt. 31-140-87	यह महा० 1992 के पूर्व स्थायी प्रस्वीकृत महा० है तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई
2	संजय गाँधी मेमो० महा०, पण्डरा, राँची	कला, एवं वाणिज्य	राज्य सरकार के ज्ञापांक 1396, दिनांक 30.09.86	विज्ञान संकाय को छोड़कर तत्काल कला एवं वाणिज्य संकाय में अनुदान हेतु अनुशंसा की गई।
3	कार्तिक उराँव महा० रातू, राँची	कला, विज्ञान वाणिज्य	BIEC/535/A/89 Dt. 18-12-89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
4	बेथेसदा इंटर महिला महा० राँची	कला एवं विज्ञान	BIEC/1081/A Dt. 16-12-88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गईं।
5	लाला मोहन नाथ शाहदेव मेमोरियल कॉलेज, इटकी	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/15P.J 012/88 Dt. 9-1-88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
6	संत पॉल्स इंटर	कला,	BIEC/443/A	राज्य सरकार के पास

	कॉलेज, राँची	विज्ञान एवं वाणिजय	Dt.20-2-89 BIEC/501/A Dt.20-2-89	अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
7	सरदार पटेल महिला महा० धुर्वा, राँची	कला, विज्ञान एवं वाणिजय	BIEC/299/A Dt. 22-8-89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
8	कमला नेहरू कॉलेज, टाटीसिलवे, राँची	कला विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/15/A1025/86 Dt. 30.9.86	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – गुमला

9	डुमरी महा० डुमरी	कला	BIEC/241/A Dt.16-5-90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
10	टाना भगत कॉलेज, घाघरा	कला एवं वाणिज्य	BIEC/174/A Dt.25-1-90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
11	पम्पापुर महा० पालकोट	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/234/A Dt. 11-5-90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – सिमडेगा

12	कुरडेग इंटर महा० कुरडेग	कला	BIEC/714A Dt. 17-6-88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
13	एस० के० बागे कॉलेज, कोलेविरा, सिमडेगा	कला	अधिसूचना सं ज्ञापांक सं० 988/80 Dt 15-9-89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – लोहरदगा

14	एम० एल० ए० महिला महा० लोहरदगा	कला एवं विज्ञान	BIEC/250/A Dt.15-9-90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
	जिला – पूर्वी सिंहभूम			
15	आसनबोनी इंटर महा० आसनबोनी	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/08/A Dt.10-04-87	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
16	कबीर मेमोरियल इंटर महा० धातकीडीह, जमशेदपुर	कला विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/192/A Dt. 11-4-90 15/SCCollest/99 Dt. 13-3-99	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

17	बी० डी० एस० एल० सिटी महिला महा० घाटशीला	कला एवं वाणिज्य	BIEC/426A Dt.30-9-88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
18	ए० जे० के० कॉलेज, मानगो	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/786/Sc Dt. 5.3.82	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
19	कबीर वीमेंस कॉलेज, मानगो	कला	BIEC/563/A Dt. 23.12-89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
20	जे० के० एस० कॉलेज ऑफ कॉमर्स मानगो, जमशेदपुर	कला विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/624/A Dt. 11.1.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
21	पटमदा कॉलेज, पटमदा, जल्ला	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/4523/A Dt. 24.10.89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
22	श्यामा प्रसाद इंटर महा० खासमहल, टाटानगर	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/539/A Dt. 24.1.84 BIEC/8354/A Dt.5.10.82	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला– प० सिंहभूम

23	छोटानागपुर कॉलेज, हेंसल	कला विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/291/A Dt. 23.10.87	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – पलामू

24	शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, जपला, पलामू	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/08918 Dt. 15.2.83 BIEC92-PM Couset/97 Dt. 25.7.97	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
25	संत तुलसीदास इंटर कॉलेज, रेहला	कला एवं वाणिज्य	BIEC/85/6 Dt. 20.11.82	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
26	मोतीराज महिला इंटर कॉलेज, हरिहरगंज	कला	BIEC/514/A Dt. 15.12.89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
27	बाल किषोर सिंह इंटर महा० हरिहगंज	कला	BIEC/705/A Dt. 27-06-88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

28	मजदूर किसान इंटर महा० डण्डारकला, पांकी	कला एवं विज्ञान	BIEC/273/A Dt. 9.10.87	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
29	अवधेष कुमार सिंह इंटर महा० कुन्दरी, लेस्लीगंज	कला एवं वाणिज्य	BIEC/585/A Dt. 4.1.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
30	चन्द्रषेखर दुबे इंटर महा० चनेया, राजहरा	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/560/A Dt. 8.3.91 BIEC/41/SAcouest/ Dt.9.8.85	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
31	डॉ० जगन्नाथ मिश्र इंटर कॉलेज, डाल्टेनगंज	कला,	BIEC/318/A 7.6.86	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
32	भीष्म नारायण सिंह इंटर कॉलेज, डाल्टेनगंज	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/85/4 Dt. 19.11.82	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – लातेहार

33	गांधी इंटर कॉलेज, लातेहार	कला	BIEC/634/A/7-5-88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला– हजारीबाग

34	बरही इंटर कॉलेज, बरही	कला एवं वाणिज्य	BIEC/634/A Dt. 11.3.91	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
35	बी0 डी0 जे0 इंटर कॉलेज, झुमरा, हरली	कला एवं वाणिज्य	BIEC/17/A Dt. 03.02.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
36	चितरपुर इंटर कॉलेज, चितरपुर	कला एवं वाणिज्य	BIEC/570/A Dt. 14.03.91 BIEC/271/NC/ Collest/94 Dt. 27.09.94	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
37	इंदिरा गाँधी श्रमिक इंटर कॉलेज, माण्डु	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/128/92 Dt.26.2.92 BIEC/285/N/94 Dt. 26.11.94	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

38	कर्णपुरा महा0 बड़कागांव	कला एवं वाणिज्य	BIEC/540/A Dt. 14.02.91	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – चतरा

39	आर0 एन0 एस0 कॉलेज, हन्टरगंज	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/279/A Dt. 11.08.79 BIEC/77/A Dt. 21.02.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला कोडरमा

40	आर0 एल0 एस0 वाई0 कॉलेज, झुमरीतिलैया	कला विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/580/A Dt. 27.03.91	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
41	झुमरीतिलैया कॉमर्स इंटर कॉलेज कोडरमा	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/75/A Dt. 05.04.90 BIEC/04/AC/Collest/95 Dt. 17.02.95	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला– गिरिडीह

42	जे0 पी0 के0 इंटर ऑफ कम्पीटेन्स, भण्डारो	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/761/A Dt. 05.08.88 BIEC/202/A Dt. 18.04.90 BIEC/532/A Dt. 23.01.84	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
43	कालूराम मोदी मेमोरियाल वनांचल महा०	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/889/A Dt. 31-1-87	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – धनबाद

44	राजगंज कॉलेज, राजगंज	कला विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/899/A Dt. 6.2.87	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
45	बी०बी०एम० कॉलेज, बलियापुर	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/449/A Dt. 24.10.89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
46	पंडित नेहरू मेमो० कॉलेज, गोमो	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/149/A Dt. 22.7.87 BIEC/28nc/ collest/95 Dt.21.7.95	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

47	एस० एच० एम० एस० कॉलेज, कुमारडुबी	कला, विज्ञान एवं वाणिजय	BIEC/524/A Dt. 1.7.84	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – बोकारो

48	तेनुघाट इंटर कॉलेज, तेनुघाट	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/60/A Dt. 21.2.89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
49	रणविजय स्मारक महा०, चास, बोकारो	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/105/97 Dt. 3.9.97	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
50	स्वामी सहजानन्द इंटर महा० चास, बोकारो	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/469/A Dt. 20.12.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – जामताड़ा

51	नाला इंटर कॉलेज, नाला, जामताड़ा	कला एवं विज्ञान	BIEC/893/A Dt. 28.9.88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
52	बी० जे० ए० इंटर कॉलेज, कुण्डहित, जामताड़ा	कला एवं विज्ञान	BIEC/525/A Dt. 18.1.84	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
53	जे० जे० एस० इंटर कॉलेज, मिहिजाम, जामताड़ा	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/560/A Dt. 22.12.89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – दुमका

54	डॉ० जगन्नाथ मिश्र इंटर कॉलेज, काठीकुण्ड	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/350/A Dt. 20.7.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
55	ए० एस० इंटर कॉलेज, दुमका	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/263/A Dt. 1.8.89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
56	एम० जी० इंटर कॉलेज, रानीश्वर	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/257/A Dt. 2.3.93	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
57	शिकारीपाड़ा इंटर कॉलेज, षिकारीपाड़ा	कला	BIEC/158/A Dt. 25.7.87	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
58	पंडित विनोदा झा मेमो० इंटर महा०, देवघर	कला एवं वाणिज्य	BIEC/281/A Dt. 18.8.89	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – साहेबगंज

59	बी० बी० ए० इंटर कॉलेज, बरहेट	कला	BIEC/204/A Dt. 18.4.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
60	बी० एल० एन० एल० बोहरा इंटर कॉलेज, राजमहल	कला एवं वाणिज्य	BIEC/289 Dt. 6.3.82	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
61	संध्या इंटर महा० साहेबगंज	कला एव विज्ञान	BIEC/614/A Dt. 3.5.88 BIEC/1085/A Dt.19.12.88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
62	तीन पहाड़ इंटर महा० तीन पहाड़	कला	BIEC/305/A Dt. 13.6.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला – पाकुड़

63	एस० के० एम० इंटर कॉलेज, महेशपुर, राज, पाकुड़	कला एवं विज्ञान	राज्य सरकार के ज्ञापांक – 1239 Dt.8.9.88	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

जिला– गोड्डा

64	महिला महा० पथरगामा, गोड्डा	कला एवं विज्ञान	BIEC/585/A Dt. 5.4.91	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
65	एस० आर० एल० जी० कॉलेज, हनवारा, गोड्डा	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/199/A Dt. 17.4.90 BIEC/25 Dt.21.6.95	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
66	आदिवासी इंटर कॉलेज, लालमटिया गोड्डा	कला	BIEC/76/sc/coll/est/97 Dt. 28.5.97	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
67	सूरजमंडल इंटर कॉलेज, पोड़ैयाहाट	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/76/sc/collest/97 Dt. 28.5.97	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
68	इंटर कॉलेज, महगामा	कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	BIEC/439/A Dt. 19.11.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
69	एस० आर० टी० जे० जे० कॉलेज, भतखोरिया, गोड्डा	कला एवं वाणिज्य	BIEC/248/A Dt. 17.5.90	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।
70	वीर कुँवर सिंह कॉलेज, गोड्डा	कला	BIEC/ Dt. 24.12.92	राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा की गई।

ख) माननीय परिषद् सदस्यों द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित महाविद्यालयों की स्थिति पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि तत्काल नीचे दर्शाये गये महाविद्यालयों की अनुशंसा का मामला स्थगित रखा जाय–

1) जे० एम० कॉलेज, भुरकुण्डा, हजारीबाग
2) पी०टी०पी०एस० कॉलेज, बाघमारा
3) बाघमारा कॉलेज, बाघमारा
4) झारखण्ड कॉमर्स कॉलेज, डुमरी, गिरीडीह
5) एस०बी०एस०एस०पी०एस० जनजातीय महाविद्यालय, पथरगामा, गोड्डा
6) बी० एस०ए० महिला कॉलेज, बरहरवा, साहिबगंज

ऊपर अंकित महाविद्यालयों को पत्र द्वारा सूचित करने का निर्णय लिया। पत्र में यह भी अंकित करने का निर्णय लिया गया कि ऊपर अंकित महाविद्यालय जब तक डिग्री तथा इंटर की व्यवस्था अलग–अलग नहीं करती है, तब तक इन महाविद्यालयों की अनुशंसा का मामला स्थगित रखा जाय।

ग) निम्नांकित महाविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु अनुशंसा भेजने का निर्णय तत्काल परिषद् द्वारा स्थगित रखा गया है:–

1) स्टील सिटी कॉलेज, जमशेदपुर
2) मिसेज के० एम० पी० एम० इंटर महाविद्यालय, जमशेदपुर
3) राम मनोहर लोहिया स्मारक इंटर महाविद्यालय, डाल्टेनगंज
4) लंगटा बाबा इंटर कॉलेज, मिर्जागंज, गिरिडीह
5) एच० एल० एस० इंटर कॉलेज, रानीबहाल, दुमका
6) परिषद् द्वारा बी० एन० एल० बोहरा इंटर महाविद्यालय, साहेबगंज की शासी निकाय को भंग करते हुए तदर्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
7) जाली अंक पत्रों के मामले में यह निर्णय लिया गया कि परिषद् की परीक्षा समिति इस मामले में यह जाँच करेगी कि क्या इसमें परिषद् के कर्मचारियों की अन्तर्लिप्तता है या नहीं।

ह/–

(शालिग्राम यादव)

अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की परीक्षा समिति की दिनांक 05.10.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

1. क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   ख) प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
   ग) श्री फुल सिंह विशेष आमंत्रित – सदस्य
   घ) डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
   ङ) प्रो० एम० एस० खॉ – सदस्य

उपस्थिति पदाधिकारी

1. श्री खगेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्यवाही

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	समिति के समक्ष गत परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.8.2004 की कार्यवाही अनुमोदनार्थ रखा गया।	गत परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.8.2004 की कार्यवाही को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2	जाली अंक पत्रों के मामले में परिषद् की बैठक में दिनांक 28.9.2004 को लिए गए निर्णय के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा जाँच किए जाने के मुद्दे पर विचार	इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद् द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्रों, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र पर ऐसा मार्क दिया जाय, जिससे कि इसे प्रमाणित किया जा सके कि यह परिषद् द्वारा ही निर्गत है।
3	ए० एस० कॉलेज, देवघर द्वारा प्रेषित सत्यापन के क्रम में जाली प्रमाण पत्रों के संबंध में प्राचार्य, ए० एस० कॉलेज, देवघर को संबंधित छात्रों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर परिषद् को सूचित करने हेतु पत्र दिए जाने के बाद पत्र का उत्तर	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त महाविद्यालय द्वारा संबंधित छात्रों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने संबंधी सूचना परिषद् को नहीं दिए जाने के कारण समिति द्वारा उन्हें पुनः स्मारित करने का निदेश दिया जाय।

नहीं मिलने पर विचार।

4	सत्यापन के क्रम में प्राचार्य जे० जे० कॉलेज, झुमरीतिलैया द्वारा दिए गए सूचना पर प्राथमिकी दर्ज न किए जाने के सबंध में विचार।	इस संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस मामले की जाँच परिषद् सदस्य डॉ० ताराकान्त शुल्क द्वारा कराकर परिषद् को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु अधिकृत किया जाय
5.	समिति द्वारा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा परीक्षा, 2004 की तिथि के संबंध में विचार।	समिति द्वारा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा परीक्षा, 2004 की संभावित तिथि नवम्बर 2004 में रखने का निर्णय लिया गया।
6	मूल अंक नियोजन पंजी की सुरक्षित रखने पर विचार।	इस संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मूल अंक नियोजन पंजी के हरेक पृष्ठ को लेमिनेटेड कराया जाये ताकि यह सुरक्षित रह सके साथ ही मूल अंक नियोजन पंजी में आसानी से कोई हेर–फेर नहीं कर सके।
7	अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं सारणीयन पंजी का जालसाजी से बचाने पर विचार।	इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभी प्रमाण पत्रों पर ऐसा कोई गोपनीय चिन्ह दिया जाये, जिससे इन प्रमाण पत्रों का आसानी से जालसाजी कर नकल न किया जा सके।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची की प्रस्वीकृति समिति की दिनांक 04.10.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 04.10.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को प्रस्वीकृति समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थिति हुएः–

1. श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. निदेशक (मा० शि०) – सदस्य
3. प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
4. श्री दिनेशानन्द गोस्वामी, विशेष आमंत्रित – सदस्य
5. श्री फुल सिंह विशेष आमंत्रित – सदस्य

उपस्थित पदाधिकारी

01 श्री खगेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों का अभिनंनदन किया गया। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

कार्यवाही

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	गत प्रस्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 18.05.2004 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार	गत प्रस्वीकृति समिति दिनांक 18.5.2004 की कार्यवही की संपुष्टि की गई।
2	सरिया कॉलेज, सरिया के कला संकाय में प्रस्वीकृति पर विचार।	इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय इंटर तथा डिग्री की पढ़ाई की व्यवस्था अलग–अलग भवन में तथा अलग–अलग अस्तित्व में करें। प्रस्वीकृति की शर्त्तों को महाविद्यालय पूरा करता है अथवा नहीं, अद्यतन निरीक्षण कराने के उपरांत इनकी प्रस्वीकृति पर विचार किया जायेगा
3	झारखण्ड कॉमर्स कॉलेज, डुमरी (कला संकाय में प्रस्वीकृति प्राप्त) के	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि झारखण्ड कॉमर्स कॉलेज, डुमरी

	निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों यथा मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, उर्दू, खोरठा एवं गणित की प्रस्वीकृति पर विचार।	का (कला संकाय में प्रस्वीकृति प्राप्त) के निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों यथा – मनोविज्ञान भूगोल, गृह विज्ञान, उर्दू, खोरठा एवं गणित विषयों की प्रस्वीकृति हेतु पुनः निरीक्षण कराया जाय।
4	बी०डी० जायसवाल कॉलेज, हरली, हजारीबाग (कला एवं वाणिज्य में प्रस्वीकृति प्राप्त) को निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विज्ञान संकाय की प्रस्वीकृति प्रदान करने पर विचार।	यह महाविद्यालय कला एवं वाणिज्य संकाय में 1992 के पूर्व का प्रस्वीकृत महाविद्यालय है। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इस महाविद्यालय को विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ दो शिक्षा सत्र 2004–06 एवं 2005–07 के लिए अस्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।
5	ईडेन कॉलेज, बोड़ैया, राँची को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की प्रस्वीकृति की अनुशंसा सषर्त्त देने पर विचार।	निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इस महाविद्यालय को कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, नागपुरिया, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, तथा विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणी विज्ञान, गणित विषयों के साथ एक शिखा सत्र 2004–2006 के लिए स्थापना अनुज्ञा इस शर्त्त के साथ देने का निर्णय लिया गया कि वे एक साल के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करे।
6	वीर कुँवर सिंह कॉलेज, गोड्डा (कला प्रस्वीकृत) के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में प्रस्वीकृति पर विचार	इस महाविद्यालय को विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विान एवं गणित विषयों के साथ तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ ही शिक्षा सत्र 2004–06 एवं 2005–07 के लिए अस्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा की

जाती है।

7 झूमरीतिलैया कॉमर्स कॉलेज, झुमरीतिलैया के विज्ञान संकाय में प्रस्वीकृति पर विचार।

चूँकि निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा एक वर्ष से पूर्व का है। अतः इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि झुमरीतिलैया कॉमर्स कॉलेज, झुमरीतिलैया के अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु पुनः निरीक्षण कराया जाय।

8 बोहरा सीता अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज, बरहरवा, साहेबगंज के विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्वीकृति पर विचार।

निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर बोहरा सीता अन्नापूर्ण इंटर कॉलेज, बरहरवा, साहेबगंज को विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जन्तु शास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी विषयों के साथ तथा वाणिज्य संकाय में अस्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा दो शिक्षा सत्र 2004–06 एवं 2005–07 के लिए करने का निर्णय लिया गया।

9 बी० एन०एल० बोहरा इंटर महाविद्यालय, राजमहल, साहेबगंज के संस्थापाकों के विवाद पर स्थलीय निरीक्षण पर विचार

चूँकि यह मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। अतः तत्काल इस बिन्दु पर निर्णय नहीं लिया गया।

10 तेनुघाट इंटर कॉलेज, तेनुघाट के विज्ञान संकाय के जीव विज्ञान विषय की प्रस्वीकृति पर विचार।

निर्णय लिया गया कि तेनुघाट इंटर कॉलेज, तेनुघाट को विज्ञान संकाय के जीव विज्ञान विषय में प्रस्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

11 कर्णपुरा महाविद्यालय, बडकागाँव, हजारीबाग, बलदेव दास संतलाल महिला इंटर महाविद्यालय, घाटशीला, रण विजय स्मारक इंटर कॉलेज, चास बोकारो तथा जे० के० एस० कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मानगो, जमशेदपुर की स्थायी प्रस्वीकृति के संबंध में।

कर्णपुरा महाविद्यालय, बड़कागाँव, हजारीबाग, बलदेव दास संत लाल महिला इंटर महाविद्यालय, घाटशीला, रण विजय स्मारक इंटर कॉलेज, चास तथा जे० के० कॉलेज, ऑफ कॉमर्स मानगो, जमशेदपुर वर्ष 1992 के पूर्व के महाविद्यालय हैं। इन्हें वित्तीय अनुदान हेतु सरकार में अनुशंसा की गई है, इनकी स्थायी

		प्रस्वीकृति की अनुशंसा की सूचना माननीय सदस्यों को दी गई।
12	संत इग्नेशियुस इंटर महाविद्यालय, गुमला को कला विज्ञान एवं वाणिज्य में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	इस महाविद्यालय को कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, तथा भूगोल एवं विज्ञान संकाय के भैतिकी, रसायन, गणित एवं जीव विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए स्थापना अनुज्ञा की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जाती है कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करें।
13	बलवंत सिंह नामधारी इंटर कॉलेज, सतबरवा, पलामू को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्थापना अनुज्ञा पर विचार।	इस महाविद्यालय को कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए स्थापना अनुज्ञा की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जाती है कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करें।
14	महिला महाविद्यालय, कोडरमा को कला एवं वाणिज्य संकाय में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	इस महाविद्यालय को कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, एवं वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए स्थापना अनुज्ञा की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जाती है कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करें।
15	गढ़वा महिला महाविद्यालय, गढ़वा को कला संकाय में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	इस महाविद्यालय को कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत,

		तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, एवं अर्थशास्त्र विषयों के साथ शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए स्थापना अनुज्ञा की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जाती है कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करें।
16	वनांचल इंटर कॉलेज, चुटिया, राँची की निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्थापना अनुज्ञा पर विचार	इस महाविद्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, संस्कृत तथा विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान एवं गणित तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ स्थापना अनुज्ञा शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए इस शर्त्त पर देन की अनुशंसा की जाती है कि वे एक वर्ष के अन्दर प्रस्वीकृति की सारी शर्त्तों को पूरा करे।
17	विनोद बिहार महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय कसमा, मंजूरा, बोकारो को कला एवं वाणिज्य संकाय में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	इस महाविद्यालय को कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, खोरठा, कुरमाली, बंगला, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिकशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए स्थापना अनुज्ञा इस शर्त्त पर देने की अनुशंसा की जाती है कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करे।
18	संध्या महाविद्यालय, पाकुड़ को तीनों संकाय में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार।	निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इस महाविद्यालय को कला संकाय के हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, तर्कशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान

		तथा विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए स्थापना अनुज्ञा इस शर्त्त पर देने की अनुशंसा की जाती है कि वे एक वर्ष के अंदर प्रस्वीकृति की सभी शर्त्तों को पूरा करें।
19	तिरूलडीह इंटर कॉलेज, तिरूलडीह को तीनों संकाय में स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार	इस महाविद्याल को कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, विज्ञान संकाय के भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान एवं गणित तथा वाणिज्य के विषयों के साथ स्थापना अनुज्ञा एक शिक्षा सत्र 2004–06 के लिए इस शर्त्त के साथ देने की अनुशंसा की जाती है कि वे प्रस्वीकृति की निर्धारित सारी शर्त्तों की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करे तथा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति मानक आधार पर करें।
20	मदरसा कादरिया निजामुल ओलूम गोसनगर, कपाली, सरायकेला–खरसवाँ को पंजीकृत करने पर विचार।	समिति द्वारा संबंधित मदरसा (विद्यालय) का निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में उन्हें पत्र द्वारा सूचित किया जाय। तथा निरीक्षणोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
21	शहीद भगत सिंह इंटर महाद्यिालय, जपला को कला संकाय में एक सेक्शन सीट वृद्धि पर विचार।	इस महाविद्यालय को कला संकाय में एक सेक्शन अतिरिक्त सीट वृद्धि (128सीट) की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यवाही समाप्ति की घोषण की गई।

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची की पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 03.11.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 03.11.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची की पाठ्यक्रम समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

उपस्थिति

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	डॉ० के० सी०प्रसाद	– सदस्य
3.	डॉ० तारा कांत शुक्ला	– सदस्य
4.	प्रो० एम० एस० खॉ	– सदस्य
5.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
6.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य

उपस्थित पदाधिकारी

1. श्री खगेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्यवाही

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	गत बैठक दिनांक 17.08.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि	गत पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 17.08.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।
2	मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में "त्रिभुवन एटलस" की उपयोगिता एवं अनुवाद के संबंध में विचार।	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि भूगोल तथा भूगर्भ शास्त्र विषय के विषय–विशेषज्ञ को बुलाकर इनकी उपयोगिता के संबंध में विचार किया जाय।
3	इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य द्वितीय वर्ष 2005–2006 का सी०बी०एस०ई०	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी संकायों के विषय

	आधारित पाठ्यक्रम के निर्माण के संबंध में विचार।	विशेषज्ञों को बुलाकर बारहवी कक्षा की संकायवार पाठ्यक्रम पर विचार किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि ग्यारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो पाठ्य सूची सम्मिलित है, इसे बारहवीं कक्षा के पाठ्यसूची में नहीं रखा जाय। विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर शीघ्रता से बारहवीं कक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
4	गैर हिन्दी भाषी छात्र जिनकी मातृभाषा उड़िया, उर्दू एवं बंगला है, को इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए पूर्व की तरह 50 अंकों की हिन्दी एवं 50 अंकों की मातृभाषा (उड़िया, उर्दू, एवं बंगला) रखने पर विचार।	इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसे परिषद् की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
5	मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में विचार।	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि विषय विशेषज्ञों को बुलाकर दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कराया जाय।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट नये पाठ्यक्रम के अनुसार कम्प्यूटर विषय के संचालन के लिए नीति निर्धारण हेतु दिनांक 25.11.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही।

आज दिनांक 25.11.2004 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में परिषद् सदस्यों की समिति की अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट नये पाठ्यक्रम के अनुसार कम्प्यूटर विषय के संचालन के लिए नीति– निर्धारण हेतु बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थिति हुए–

उपस्थितिः–

1. श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
3. डॉ० के० सी०प्रसाद – सदस्य
4. श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य

कार्यवाही

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	अंगीभूत कॉलेज में पाठ्यक्रम के अनुसार कम्प्यूटर विषय के संचालन के लिए नीति निर्धारण पर विचार।	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों में कम्प्यूटर अध्यापन की भौतिकी संरचना है तथा कम्प्यूटर की सुविधा है, वहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार कम्प्यूटर कोर्स को अध्यापन की अनुमति दी जाती है। जिन महाविद्यालयों में भौतिकी संरचना नहीं है, वहाँ बाहरी एजेंसी से भौतिकी संरचना उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए सामान्य छात्र से अधिकतम 50/– रु० प्रति छात्र प्रति माह शुल्क के रूप में लिया जाय। अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति के छात्रों को 25/– रु० प्रति छात्र प्रति माह शुल्क लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त खर्च अधिक होने पर इंटरमीडिएट छात्रों के छात्र कोष से वहन करने का निर्देश विश्वविद्यालय की अनुमति से दिया जाता है साथ ही कम्प्यूटर विषय के संरचना तैयार करने हेतु नीति–निर्धारण के लिए परिषद् सदस्य डॉ० के० सी० प्रसाद को अधिकृत किया गया

2 समय–समय पर भौतिक संरचना की जानकारी तथा अध्यापन के स्तर की जानकारी के लिए निरीक्षण की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 01.12.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 01.12.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य
3. प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
4. प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
5. श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
6. प्रो० दुखा भगत – सदस्य

उपस्थित पदाधिकारी

1. श्री खगेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसमें निम्नांकित निर्णय लिए गएः–

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।	सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।
2	वित्तीय वर्ष 2004–2005 का पुर्नविनियोग बजट पर विचार	निम्नांकित मदों से राशि की निकासी करने का निर्णय लिया गया– ए–(1) बजट शीर्ष 7 (1) ए– यात्रा एवं सवारी भत्ता– परीक्षा कार्य से जुड़े हुए पदाधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य के यात्रा मद में एवं सवारी भत्ता में कुल 1,11,00,000/– का प्रावधान किया गया। इस शीर्ष में 78,68,000/– राशि खर्च करने की संभावना है। शेष राशि 32,32,000/– को दूसरे मद में आवश्यकता के अनुरूप पुर्नविनियोग करने का निर्णय लिया गया। (2) बजट शीर्ष 5 (1) ग्रुप बीमा

– इस मद में 2,00,000/– का प्रावधान बजट में किया गया था। अभी तक इस मद में कोई भी राशि का खर्च नहीं हुआ और न आगे खर्च की संभावना है। अतः 2,00,000/– (दो लाख) की राशि का पुर्नविनियोग दूसरे मद में करने का निर्णय लिया गया।

बी.– सिलेबस के मुद्रण से तथा विक्रय से 5,00,000/– (पाँच लाख) की राशि की आय हुई, इसे आय में अलग शीर्ष में जोड़ने का निर्णय लिया गया।

सी.– बजटीय उपबंध में राशि की वृद्धि

(1) <u>बजटीय शीर्ष 2 ए – परिषद्</u> सदस्यों के यात्रा तथा सवारी मद में राशि की वृद्धि– बजट में इस मद में 3,00,000/– (तीन लाख) की राशि का उपबंध था, किन्तु अब तक 4,13,000/– (चार लाख तेरह हजार) की राशि इस मद से खर्च की गई। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए तथा आगे की खर्च को देखते हुए पूर्व में बजटीय उपबंध 3,00,000/– (तीन लाख) के अतिरिक्त 2,10,000/– (दो लाख दस हजार) इस मद में जोड़ा गया। इस तरह कुल 5,10,000/– (पाँच लाख दस हजार) बजटीय शीर्ष 2ए. में प्रावधान किया गया।

(2) <u>**बजटीय शीर्ष 2 बी.–**</u> निरीक्षण हेतु यात्रा व्यय– इस मद में 40,000/– (चालीस हजार) रु० का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अभी तक 90,000/– (नब्बे हजार) की राशि खर्च की जा चुकी है। अतः इस मद में पूर्व बजटीय उपबंध 40,000/– (चालीस हजार) रु० के अतिरिक्त 70,000/– (सत्तर हजार) रु० कुल 1,10,000/– (एक लाख दस हजार रु०) बजटीय उपबंध किया गया।

(3) **बजटीय शीर्ष 3 ए (2) टेलीफोन एवं फैक्स–**
इस मद में 1,05,000/– (एक लाख पाँच हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक इस मद से 1,65,000/– (एक लाख पैंसठ हजार रु०) राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 1,05,000/– (एक लाख पाँच हजार रु०) के अतिरिक्त 1,00,000/– (एक लाख रु०) कुल 2,05,000/– (दो लाख पाँच हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(4) बजटीय शीर्ष 3 ए (5) स्टेशनरी – इस मद में 1,00,000/– (एक लाख रु०) बजटीय उपबंध किया गया था। किन्तु अब तक इस मद में 2,34,000/– (दो लाख चौंतीस हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 1,00,000/– (एक लाख रु०) के अतिरिक्त 4,00,000/–(चार लाख रु०) कुल– 5,00,000/– (पाँच लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(5) बजटीय शीर्ष 3 ए (6) विज्ञापनः इस मद में 5,00,000/– (पाँच लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक इस मद में 10,96,000/– (दस लाख छियानबे हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 5,00,000/– (पाँच लाख रु०) के अतिरिक्त 9,00,000/– (नौ लाख रु०) कुल 14,00,000/– (चौदाह लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(6) बजटीय शीर्ष 3 ए (x) विधि व्ययः– इस मद में 50,000/– (पचास हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किनतु अब

तक इस मद में 1,28,000/– (एक लाख अठाईस हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 50,000/– (पचास हजार रु०) के अतिरिक्त 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रु०) 2,00,000/– (दो लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(VII) बजटीय शीर्ष 3 ए (xiii) वाहन मरम्मतिः– इस मद में 25,000/– (पच्चीस हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक इस मद में 1,31,000/– (एक लाख इकतीस हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 25,000/– (पच्चीस हजार रु०) के अतिरिक्त 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार रु०) कुल 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(viii) बजटीय शीर्ष 3 (बी) (iii)– पाठ्यक्रम मुद्रण इस मद में 10,000/– (दस हजार रु०) का बजटीय उपबंध था। किन्तु अभी तक 4,94,4000/– (चार लाख चौरानबे हजार चार सौ रु०) व्यय हो चुका है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 10,000/– (दस हजार रु०) के अतिरिक्त 4,90,000/– (चार लाख नब्बे हजार रु०) कुल 5,00,000/– (पाँच लाख रु०) पाठ्यक्रम के बिक्री से हुए आय से इस मद में खर्च की गई राशि का विचलन करने का निर्णय लिया गया।

(ix) बजटीय शीर्ष 3 बी (v) कम्प्यूटर व्ययः– इस मद में पूर्व में बजटीय उपबंध नहीं किया गया था। इस मद में अब तक खर्च की गई राशि का प्रावधान करने हेतु नये शीर्ष 3 बी (v) में 2,50,000/–

(दो लाख पचास हजार रु०) पुर्नविनियोग किया गया।

(x) बजटीय शीर्ष 3 सी (iv) Refud of Deposite- इस मद में 2,00,000/– (दो लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक 6,50,000/– (छः लाख पचास हजार रु०) अतिरिक्त 5,00,000/– (पाँच लाख रु०) कुल 7,00,000/– (सात लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(xi) का बजटीय शीर्ष 3 सी (vi) कोब्से से संबंधित खर्च– इस मद में 25,000/– (पच्चीस हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक 40,000/– (चालीस हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 25,000/– (पच्चीस हजार रु०) के अतिरिक्त 25,000/– (पच्चीस हजार रु०) कुल 50,000/– (पचास हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(xii) बजटीय शीर्ष 5 (v) Re-imbursement of medical Exp. इस मद में 50,000/– (पचास हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अत तक 2,36,000/– (दो लाख छत्तीस हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 50,000/– (पचास हजार रु०) के अतिरिक्त 1,90,000/– (एक लाख नब्बे हजार रु०) कुल 2,40,000/– (दो लाख चालीस हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(xiii) बजटीय शीर्ष 7 (xi) परीक्षाफल प्रकाशनार्थ– इस मद में 1,00,000/– (एक लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक 1,15,000/– (एक लाख पन्द्रह हजार रु०) की राशि

खर्च हो चुका है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 1,00,000/– (एक लाख रु०) के अतिरिक्त 1,00,000/– (एक लाख रु०) कुल 2,00,000/– (दो लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(xiv) बजटीय शीर्ष 13 (i) Furniture & Equipement – इस मद में 5,00,000/– (पाँच लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक 5,72,000/– (पाँच लाख बहत्तर हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 5,00,000/– (पाँच लाख रु०) के अतिरिक्त 2,00,000/– (दो लाख रु०) कुल 7,00,000/– (सात लाख रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

(xv) बजटीय शीर्ष 13 (ii)– Duplicating Machine इस मद में 25,000/– (पच्ची हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया था, किन्तु अब तक 35,000/– (पैंतीस हजार रु०) की राशि खर्च हो चुकी है। अतः पूर्व बजटीय उपबंध 25,000/– (पच्चीस हजार रु०) के अतिरिक्त 12,000/– (बारह हजार रु०) कुल 37,000/– (सैंतीस हजार रु०) का बजटीय उपबंध किया गया।

अन्यायन्य विषय

(1) 10,00,00,000/– (दस करोड़ रु०) की राशि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में लंबी अवधि के लिए जमा करने पर विचार

(क) इलाहाबाद बैंक– 7,00,00,000/– (सात करोड़ रु०)

(ख) पंजाब नेशनल बैंक–3,00,00,000/– एवं भारतीय (तीन करोड़) स्टेट बैंक

इस संबंध में सर्वसम्मति से 10,00,00,000/– (दस करोड़ रु०) की राशि लंबी अवधि के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने पर सहमति व्यक्त की गई।

(2) विघटित झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद्, राँची के प्रशासक के पदनाम एस० बी० आई०, काँके शाखा में जमा फिक्सड

इस संबंध में विभाग से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया।

	डिपोजिट जिसका समय 29.11.04 को पूरा हो रहा है, उसे झारखण्ड अधिविद्य परिषद् फण्ड के नाम फिक्स डिपोजिट करने पर विचार।	
(3)	श्री के० एन० झा, तत्कालीन सहायक सचिव, विघटित झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, राँची बकाये वेतन का भुगतान के संबंध में।	इस संबंध में वरीय अधिवक्ता से राय लेने का निर्णय लिया गया।
(4)	पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अग्रिम का सामंजन के संबंध में।	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि पन्द्रह दिनों के अंदर सभी पदाधिकारी/कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए गए अग्रिम का सामंजन कराने का निदेश दिया गया है। अगर उनके द्वारा अग्रिम का सामंजन नहीं कराया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापांन के साथ कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 03.12.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 03.12.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की आपात बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
3. श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
4. श्री फुल सिंह – सदस्य
5. डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
6. डॉ० एम० एस० खॉ – सदस्य
7. प्रो० के० के० मिश्र – आमंत्रित सदस्य
8. प्रो० दुखा भगत – आमंत्रित सदस्य

उपस्थित पदाधिकारी

1. श्री खगेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें निम्नांकित निर्णय लिए गए–

क्र० सं०	**कार्यसूची**	**निर्णय**
1.	अंगीभूत कॉलेजों, की हड़ताल के कारण इंटर परीक्षा, 2005 की परीक्षा से संबंधित पत्रादि जमा करने की तिथि विस्तारण के संबंध में विचार	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अंगीभूत कॉलेजों की हड़ताल के कारणवश वर्ष 2005 की इंटर परीक्षा से संबंधित प्रपत्रादि जमा करने की तिथि निम्न रूपेण विस्तारित की जाती हैः–

प्रमंडल का नाम		**भरे हुए परीक्षा प्रपत्र महा० में जमा करने की तिथि**		**भरे हुए परीक्षा प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि**	
		विलंब दंड रहित	विलंब दंड सहित	विलंब दंड रहित	विलंब दंड सहित
1.	द० छोटा० प्रमंडल	15.12.04	20.12.04	18.12.04	24.12.04
2.	संथाल परगना प्रमंडल	15.12.04	20.12.04	18.12.04	24.12.04
3	पलामू प्रमंडल	16.12.04	21.12.04	20.12.04	27.12.04
4	सिहभूम (कोल्हान)प्रमंडल	16.12.04	21.12.04	20.12.04	27.12.04
5	उत्तरी छोटा० प्रमंडल	17.12.04	22.12.04	21.12.04	28.12.04

अन्त में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही समाप्ति की घोषाण की गई

अनुमोदित

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ह/–
(श्री शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सेवा परिनियम एवं विनियम के संबंध में दिनांक 14.12.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 14.12.20044 को पूर्वाह्न 11.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सेवा परिनियम एवं विनियम के संबंध में बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. प्रो० दुखा भगत – सदस्य
3. प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
4. श्री फुल सिंह – सदस्य
5. श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य

उपस्थित पदाधिकारी

1. श्री खगेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों का अभिनन्दन कियाा गया। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्यवाही

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सेवा परिनियम एवं विनियम के संबंध में	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सेवा परिनियम एवं विनियम प्रारूप को माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। माननीय परिषद् सदस्यों द्वारा समीक्षोपरांत इसे अनुमोदि किया गया

धन्यवाद

अनुमोदित

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ह/–
(श्री शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 16.12.2004 को हुई परिषद् बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 16.12.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

1.	श्री शालिग्राम यादव	– अध्यक्ष
2.	प्रो० दुखा भगत	– सदस्य
3.	श्री दिनेशानन्द गोस्वामी	– सदस्य
4.	प्रो० आर० बी० सिंह,	– सदस्य
5.	डॉ० तारा कान्त शुक्ल	– सदस्य
6.	डॉ० एम० एस० खॉ	– सदस्य
7.	श्री फुल सिंह	– सदस्य

उपस्थित पदाधिकारी

1. श्री खगेन्द्र कुमार — विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। तदुपरांत बैठक की कार्यवही प्रारंभ की गयी, जिसमें निम्नांकित निर्णय लिए गएः–

कार्यवाही

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	गत परिषद् बैठक दिनांक 28.09.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि	गत परिषद् बैठक दिनांक 28.09.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की गईः– (1) परिषद् बैठक दिनांक 28.09.2004 की कंडिका–3 की कार्यवाही के अंश "क" , "ख" तथा "ग" में संशोधन किया गया कि 70 महाविद्यालयों की अनुशंसा (अंश "क" में वर्णित) के अतिरिक्त निम्नांकित महाविद्यालयों को भी राज्य सरकार के पास अनुदान प्राप्ति हेतु भेजी गई अनुशंसा की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है। ऐसे महाविद्यालयों की सूची निम्नांकित हैः–

(क) एस० बी० एस० एस० पी० एस० जनजातीय महाविद्यालय, पथरगामा, गोड्डा।
(ख) बी० एस० ए० महिला कॉलेज, बरहरवा, साहेबगंज।
(ग) लंगटा बाबा इंटर कॉलेज, कोलेबिरा, सिमडेगा।
(घ) झारखण्ड कॉमर्स कॉलेज, झुमरी, गिरिडीह।

2. परिषद् के माननीय सदस्यों को विभिन्न सुविधा प्रदान करने के सबंध में।

परिषद् के समक्ष संलेख सं०–1 को रखा गया। इस संबंध में परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकि निर्णय लिए गएः–
(क) दूरभाष सबसिडी के तौर पर प्रत्येक माननीय सदस्य को 1,000/– (एक हजार रु०) प्रति माह भुगतान किया जाय और यह भूतलक्षी प्रभाव 03 सितम्बर, 2003 से लागू माना जाय।
(ख) ठहराव भत्ता/विश्राम भत्ता के रूप में 01 दिसम्बर, 2004 के प्रभाव से 500/– (पाँच सौ रु०) प्रतिदिन भुगतान किया जाय। स्थानीय सवारी भत्ता के रूप में माननीय स्थानीय सदस्यों को 500/– (पाँच सौ रु०) प्रतिदिन भुगतान किया जाय। यह 01 दिसम्बर, 2004 के प्रभाव से लागू माना जाय।
(ग) प्रत्येक महाविद्यालय निरीक्षण के लिए 400/– (चार सौ रु०) प्रति महाविद्यालय निरीक्षण भत्ता के रूप में भुगतान किया जाय। यह 01 दिसम्बर 2004 के प्रभाव से लागू माना जाय।
(घ) परक्षा अवधि में माननीय सदस्य जितने केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे, प्रत्येक केन्द्र निरीक्षण के लिए 200/– (दो सौ रु०) भुगतान किया जाय।

3. परिषद् में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एव अन्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

परिषद् के समक्ष संलेख सं०–2 को रखा गया इस संबंध में परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गएः–
(क) परिषद् कार्यालय में एक दषक से अधिक वर्षों से कार्यरत (विघटित इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्) के विभिन्न

		कोटि के तदर्थ कर्मचारियों को जिन्हें मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता पूर्व से दिया जा रहा है, को आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, एवं अन्य भत्ता जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत है, उसके अनुरूप इन कर्मचारियों को भी 01 दिसम्बर, 2004 के प्रभाव से उक्त सुविधा प्रदान की जाती है। (ख) परिषद् कार्यालय में कार्यरत विभिन्न कोटि के इन तदर्थ कर्मचारियों को 01 सितम्बर, 2004 के प्राभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि की सुविधा प्रदान की जाती है। (ग) परिषद् कार्यालय में 11 (ग्यारह) ऐसे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं जो एक दशक से लगातार काम करने के बाद भी उन्हें अब तक 1,500/– (एक हजार पाँच सौ रु०) प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते की सुविधा 01 दिसम्बर, 2004 के प्रभाव से प्रदान की जाती है। (घ) परिषद् कार्यालय में तीन वर्षों से अधिक दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत दो वाहन चालक को 01 दिसम्बर, 2004 के प्रभाव से चालक को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते क सुविधा प्रदान की जाती है।
4.	परिषद् कर्म श्री अक्षय कुमार सिन्हा, सहायक, 30 नवम्बर, 2004 को 58 वर्ष की उम्र सीमा पूरी कर सेवानिवृत हो गयें हैं, को झारखण्ड सरकार, का० प्र० सं०एवं राजभाष विभाग के संकल्प के आलोक में उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के संबंध में।	इस संबंध में परिषद् के समक्ष संलेख सं०–3 को रखा गया। झारखण्ड सरकार, कार्मिक प्र० सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/वि०वि०प०–6/2002 का 5826, दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गयी हैं उसी के अनुरूप परिषद् कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों की उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
5.	परिषद् में कार्यरत पदाधिकारियों	इस संबंध में परिषद् के संलेख

/ कर्मचारियों को वर्द्धित अतिरिक्त 3 प्रतिषत मंहगाई भत्तें की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

सं०–4 को रखा गया।
झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक–3/एस०–8–01/2001–2741/वि० दिनांक 07.12.2004 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.07.2004 के प्रभाव से मूल वेतन का 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है, उसी के अनुरूप परिषद् कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वर्द्धित अतिरिक्त 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते सकी सुविधा दिनांक 01.07.2004 के प्रभाव से प्रदान की जाती है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य लाभ राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप परिषद् कर्मियों को भी दिया जाय।

6 परिषद् की विभिन्न समितियों यथा दिनांक 04.10.2004 को हुई प्रस्वीकृति समिति, दिनांक 05.10.2004 एवं दिनांक 03.12.2004 को हुई परीक्षा समिति, दिनांक 03.11.04 को हुई पाठ्यक्रम समिति, दिनांक 25.11.04 को कम्प्यूटर विषय के संचालन हेतु हुई बैठक की कार्यवाही तथा दिनांक 01.12.04 को हुई वित्त समिति की कार्यवाही का अनुमोदन।

परिषद् की विभिन्न समितियों यथा दिनांक 05.10.2004 एवं दिनांक 03.12.2004 को हुई परीक्षा समिति, दिनांक 25.11.04 को कम्प्यूटर विषय के संचालन हेतु हुई बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से की गई।
(1) साथ ही दिनांक 04.10.04 को हुई प्रस्वकृति समिति की कार्यवाही को निम्नांकित संशोधन के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदित की गईः–
(क) प्रस्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 04.10.04 के कार्यवाही की कंडिका–13 में बलवंत सिंह नामधारी इंटर कॉलेज, सतबरवा, पलामू को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्थापना अनुज्ञा की अनुशंसा की गई थी टंकण भूल के कारण इनकी प्रस्वीकृति पर विचार नहीं हो पाया, में संशोधन करते हुए परिषद् द्वारा इस महाविद्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कला संकाय के हिन्दी, अग्रेजी, उर्दू, इतिहास, अर्थशास्त्र, रानीतिशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र,

नागपुरी एवं कुड़ुख विषयों के साथ, तथा वाणिज्य संकाय के विषयों के साथ दो शिक्षा सत्र – 2004–06 एवं 2005–07 के लिए अस्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा की गई। साथ ही विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित विषयों के पढ़ाई की अनुमति दी जाती है।

(2) साथ ही दिनांक 3.11.2004 को हुई पाठ्यक्रम समिति की कार्यवाही को निम्नांकित संशोधन के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदित की गईः–

(क) इंटरीमिडएट कला विज्ञान एवं वाणिज्य द्वितीय वर्ष 2005–2006 का सी० बी० एस० ई० आधारित पाठ्यक्रम के निर्माण के संबंध में विचार– इस संबंध में परिषद् के समक्ष संलेख सं०–5 को रखा गया। परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बारहवीं कक्षा में भाषा विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों के सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम को यथावत अंगीकृत किया जाय तथा ग्यारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो बारहवीं पाठ्यसूची सम्मिलित की गई है, उसे शिक्षा सत्र (2004–2005) से ही विलोपित करते हुए शेष यथावत रखा जाय। ग्यारहवीं कक्षा के छात्र/छात्रा उन भागों को छोड़कर अध्ययन करें, इस निर्णय की सूचना विज्ञापन के माध्यम से दे दी जाय।

(ख) गैर हिन्दी भाषी छात्र जिनकी मातृभाषा उड़िया, उर्दू, बंगला इतयादि है, को इंटरीडिएट पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए 50 अंकों की हिन्दी 'बी' एवं 50 अंगों की मातृभाषा (उड़िया, उर्दू, बंगला इत्यादि भाषाओं को पाठ्यक्रम में रखने पर विचारः– इस संबंध में परिषद् के समक्ष संलेख सं०–6 को रखा गया। प्रस्तावनुसार इंटरमीडिएट सी०बी०एस० ई० आधारित पाठ्यक्रम में अहिन्दी भाषी छात्र/छात्राओं के लिए 50 अंकों की हिन्दी 'बी०' एवं 50 अंकों की मातृभाषा (उड़िया, उर्दू, बंगला, मैथिली, संथाली,

		कुड़ुख, मुण्डारी, नागपुरी, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, हो एवं अंग्रेजी वैकल्पिक) का अध्यापन कराने की अनुमति परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से दी गई। इसे सत्र 2005–2006 से ही लागू करने का निर्णय लिया गया।
7	दिनांक 14.12.2004 को हुई सेवा परिनियम एवं विनियम बैठक में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन	परिषद् के समक्ष झारखण्ड अधिविद्य परिषद् सेवा संहिता (परिनियम) एवं विनियम को रखा गया। दिनांक 14.12.2004 को हुई सेवा परिनियम एवं विनियम बैठक में पारित प्रस्ताव को परिषद् द्वारा सर्वसममति से अनुमोदित किया गया
8.	नामकुम स्थित भूमि पर परिषद् कार्यालय भवन निर्माण के संबंध में।	परिषद् के समक्ष मेकॉन लिमिटेड, राँची द्वारा भवन निर्माण के संबंध में दिए गए सहमति सत्र को रखा गया। विचार विमर्श के पश्चात् मेकॉन लिमिटेड, राँची को भवन निर्माण कार्य सौंपने की सहमति परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से दी गई तथा आगे की कार्रवाई के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

09. परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 20.10.2003 को परिषद् बैठक के द्वारा गठित किया गया स्थापना समिति, जिसे परिषद् बैठक दिनांक 11.02.2004 को भंग किया गया था, को पुर्नजीवित करने का निर्णय लिया गया

अन्त में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

ह/–
(डॉ० शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या –01

(1) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के गठन की अधिसूचना 02 सितम्बर, 03 को जारी की गयी। अध्यक्ष ने 03 सितम्बर, 2003 को कार्यभार ग्रहण किया। परिषद् के माननीय सदस्यों को सामान्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया किन्तु समयानुसार प्रस्ताव है कि दूरभाष सबसिडी के तौर पर प्रत्येक माननीय सदस्य को 1,000/– (एक हजार रु०) प्रति माह भुगतान किया जाय और यह प्रभाव 03 सितम्बर, 2003 से लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

(2) ठहराव भत्ता/विज्ञाम भत्ता के रूप में तत्काल 200/– (दौ सौ रु०) प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। प्रस्ताव है कि इसे 300/– (तीन सौ रु०) प्रतिदिन किया जाय।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

(3) महाविद्यालय निरीक्षण के लिय अब तक निरीक्षण शुल्क का प्रावधान नहीं है। प्रस्ताव है कि प्रत्येक महाविद्यालय निरीक्षण के लिए 400/– (चार सौ रु०) प्रति महाविद्यालय के हिसाब से देय होगा।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

(4) परीक्षा अवधि में माननीय सदस्य जितने केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे प्रत्येक केन्द्र निरीक्षण के लिए 200/– (दो सौ रु०) भुगतान करने का प्रस्ताव है।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

ह/–

खगेन्द्र कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या –02

(1) परिषद् कार्यालय में एक दषक से अधिक वर्षों से कार्यरत (विघटित इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्) के तदर्थ कर्मचारियों जिन्हें मूल वेतन/महंगाई भत्ता देय है और उनकी आर्थिक दयनीय है। उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए प्रस्ताव है कि इन तदर्थ कर्मचारियों को आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ता जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत है उनके अनुरूप इन कर्मचारियों को भी उक्त सुविधा 01 दिसम्बर 2004 से प्रभाव से दिया जाय।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

(2) परिषद् कार्यालय में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि की सुविधा 01 सितम्बर, 2004 के प्रभाव से दिया जाय।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

(3) परिषद् कार्यालय में 11 ऐसे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं जो एक दषक से लगातार काम करने के बाद भी अबतक उन्हें 1,500/– (एक हजार पाँच सौ रु०) भुगतान किया जा रहा है।

प्रस्ताव है कि इन्हें चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का मूल वेतन दिया जाय।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

(4) परिषद् कार्यालय में तीन वर्षों से अधिक दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत दो वाहन चालक को 01 दिसम्बर, 2004 से प्रभाव से चालक का मूल वेतन भुगतान करने का प्रस्ताव है।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

ह/–

(श्री खगेन्द्र कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या –03

झारखण्ड सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/वि०वि०प०–6/2002 का० 5826, दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गयी है। उसी के अनुरूप परिषद् कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कमचारियों क उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

ह/–

(श्री खगेन्द्र कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या –04

झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक –3/एस०–8–01/2001–2741/वि० दिनांक 07.12.2004 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1.7.2004 के प्रभाव से मूल वेतन का 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिषत महंगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया है।

प्रस्ताव है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य लाभ परिषद् के कर्मचारियों को तदनुसार भुगतान करने का प्रस्ताव है।

इस पर परिषद् का अनुमोदिन अपेक्षित है।

ह/–

(श्री खगेन्द्र कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या –05

विषयः– **इंटरमीडिएट +2 स्तरीय बारहवीं कक्षा के लिये सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम वर्ष 2005–06 से अंगीकृत करने के लिये प्रस्ताव।**

राज्य सरकार के निदेशानुसर दिनांक 05.06.2004 को संपन्न परिषद् की बैठक में सत्र 2004–06 से सी० बी० एस० ई० पाठ्यक्रम इंटर स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के लिए अंगीकृत किया गया। दिनांक 18.06.2004 को पाठ्यक्रम समिति ने 2004–05 सत्र के लिए इंटर प्रथम वर्ष (+2 कक्षा–11वीं) का सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम अनुमोदित किया। जिसकी स्वीकृति दिनांक 20.07.2004 को संपन्न परिषद् की बैठक में दी गई।

2005–2006 सत्र के लिए इंटर द्वितीय वर्ष (+2कक्षा 12वीं) में सी०बी०एस०ई० ने पाठ्यक्रम अंगीभूत किया जाय। सी०बी०एस०ई० ने पाठ्यक्रम अंगीकृत करने में अपनी अनापत्ति प्रदान की है।

अतः सी०बी०एस०ई० के 12वीं कक्षा के विषयानुसार पाठ्यक्रम को बिना किसी परिवर्तन के इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के लिए पाठ्यक्रम को अंगीकृत करने का प्रस्ताव है, जिसपर परिषद् के सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

ह/–

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,

राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

संलेख संख्या –06

विषयः– ***गैर हिन्दी भाषी छात्र जिनकी मातृभाषा उड़िया, उर्दू एवं बंगला है को इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए पूर्व की तरह 50 अंगों की हिन्दी एवं 50 अंकों की मातृभाषा (उड़िया, उर्दू,बंगला) एवं अन्य भाषाओं को इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में रखने का प्रस्ताव।***

सी० बी० एस० ई० पाठ्यक्रम लागू करने के पूर्व बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना प्रकारान्तर से झारखण्ड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, राँची के इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में अहिन्दी भाषी छात्रों के लिए 50 अंकों की हिन्दी एवं 50 अंकों की मातृभाषा का अध्ययन होता था। वे भाषाएँ थीं उदू, बंगला, उड़िया, मैथिली, संथाली, कुडुख, मुण्डारी, नागपुरी, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, हो एवं अंग्रेजी वैकल्पिक। इन विषयों की पढ़ाई न होने के फलस्वरूप वे अपनी मातृभाषा अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन से वंचित हो जाते हैं। इन विषयों की पढ़ाई न होने से इन विषयों के शिक्षक की दुष्प्रभावित हैं।

सी० बी० एस० ई० पाठ्यक्रम में इन विषयों के अनिवार्य अध्ययन का प्रावधान नहीं है। अहिन्दी भाषियों के लिए परिषद् ने हिन्दी बी–100 अंगों के अध्ययन का प्रावधान इंटर प्रथम वर्ष के लिए किया है। यदि परिषद् इस संबंध में कोई निर्णल लेती है तो इंटर द्वितीय वर्ष के लिए हिन्दी बी० पाठ्यक्रम 50 अंकों का बनाना होगा। इंटर प्रथम वर्ष में ऐसा प्रावधान 2005–2006 सत्र से लागू किया जा सकता है।

अतः इस संबध में परिषद् का निर्णय अपेक्षित है।

ह/–

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,

राँची।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की वित्त समिति की दिनांक 20.12.2004 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 20.12.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे पूर्वाह्न झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थिति

1. श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. श्री केशव कुमार हडौदिया – सदस्य
3. प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
4. प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
5. श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य

1. श्री खगेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें निम्नांकित निर्णय लिए गएः–

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि	सर्वसम्मति से गत बैठक दिनांक 01.12.2004 की कार्यवही की संपुष्टि की गई।
2.	अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार	वित्त समिति के समक्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया। इस संबध में निर्णय लिया गया कि जिन बिन्दुओं पर अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति उठाई गई है, एक सीमाबद्ध समयवद्ध कार्यक्रम के तहत उसका यथा संभव निराकरण कर लिया गया। कई बिंदुओं पर अंकेक्षण प्रतिवेदन में सुझाव दिये गये हैं, उन सुझावों को यथा संभव क्रियान्वित किया जाय।
3	पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के अग्रिम का समायोजन के संबंध में	गत वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आज अग्रिम के समायोजन की स्थिति पर विचार किया गया। पाया गया कि पूर्व में स्थिति में काफी गुणात्मक सुधार पाया गया। तथा यह पाया गया कि

नब्बे प्रतिशत अग्रिम की राशि का समायोजन किया जा चुका है। यह भी निर्णय लिया गया कि इसमें और सुधार की गुंजाईश है। शीघ्रता से शेष राशि का भी समायोजन की कार्रवाई की जाय।

अंत में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई।

अनुमोदित

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ह/–
(श्री शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की परीक्षा समिति की दिनांक 23.12.04 को हुई बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 23.12.2004 को पूर्वाह्न 11.30 बजे पूर्वाह्न झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष डॉ० शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
2. प्रो० आर० बी० सिंह, – सदस्य
3. श्री दिनेशानन्द गोस्वामी – सदस्य
4. श्री फुल सिंह – सदस्य
5. डॉ० तारा कांत शुक्ला – सदस्य
6. डॉ० एम० एस० खॉ – सदस्य
7. प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य

उपस्थित पदाधिकारी

1. श्री खगेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें निम्नांकित निर्णय लिए गएः–

कार्यवाही

क्र० सं०	कार्यसूची	निर्णय
1	गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि	सर्वसम्मति से गत परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.12.2004 की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।
2	वर्ष 2005 की इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित परीक्षा प्रपत्रादि जमा करने की तिथि विस्तारण के संबंध में विचार।	इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अंगीभूत कॉलेज के हड़ताल के कारण वर्ष 2005 की इंटर परीक्षा से संबधित प्रपत्र आदि जमा करने की तिथि पुनः निम्न रूपेण विस्तारित की जाती हैः–

प्रमंडल का नाम	भरे हुए परीक्षा प्रपत्र परिषद् कार्यालय में जमा करने की तिथि	
	विलंब दंड	विलंब दंड सहित
दक्षिणी छोटानागपुर	30.12.2004	03.01.2005
संथाल परगना प्रमंडल	30.12.2004	03.01.2005
पलामू प्रमंडल	30.12.2004	03.01.2005
सिंहभूम (कोल्हान)	30.12.2004	03.01.2005
उत्तरी छोटानागपुर	30.12.2004	03.01.2005

3	वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2005 तथा इंटरमीडिएट परीक्षा, 2005 की तिथि	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा,

निर्धारण पर विचार।

2005 तथा इंटरमीडिएट परीक्षा 7 मार्च, 2005 से प्राप्त की जाय। प्रथम पाली में माध्यमिक परीक्षा तथा द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट परीक्षा, 2005 संचालित की जाय। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2005 की समाप्ति के पश्चात् दोनों पालियों में इंटर की परीक्षा आयोजित की जाय। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2005 का परीक्षाफल 31 मई, 2005 तक प्रकाशित की जाय तथा इंटर का परीक्षाफल 10 जून, 2005 तक प्रकाशित की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माध्यमिक का मूल्यांकन 01 अप्रील, 2005 से प्रारंभ की जाय तथा सैद्धांतिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित की जाय।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के सहायक निबंधक का फैक्स जो वाद मृदुलधंर एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य से संबंधित है तथा जो मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार को संबोधित है पर विचारार्थ।

विचरोपरांत यह निर्णय लिया गया कि परीक्षाफल की तिथि निर्धारण के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन किया जाय। विचारोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि 10+2 की परीक्षाएँ 30 अप्रील तक संचालित कर ली जाय एवं 10 जून तक परीक्षाफल प्रकाशित कर लिए जाय।

अंत में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गयी।

अनुमोदित

ह/–
(श्री खगेन्द्र कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ह/–
(श्री शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची की दिनांक 13.01.2004 को हुई प्रस्वीकृति समिति की बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 13.01.2004 को अपराह्न 12.30 बजे झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के अध्यक्ष श्री शालिग्राम यादव की अध्यक्षता में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की प्रस्वीकृति समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थिति निम्नवत रहीः–

1. (क) श्री शालिग्राम यादव – अध्यक्ष
   अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

   (ख) प्रो० दुखा भगत, – सदस्य
   माननीय सांसद, लोहरदग्गा

   (ग) निदेशक (मा० शि०) – सदस्य
   मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची

   (घ) प्रो० के० के० मिश्र – सदस्य
   अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, आवादगंज, डाल्टनगंज

   (ङ) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी, – विशेष आमंत्रित सदस्य
   वाणिज्य विभाग, के० एम० पी० एम० इंटर महाविद्यालय, जमशेदपुर

2. समिति के समक्ष 8 (आठ) अस्थाई प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों को स्थाई प्रस्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। ये सभी महाविद्यालयों को स्थाई प्रस्वीकृति हेतु शर्त्तों की पूर्त्ति की जानकारी हेतु निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन में इन महाविद्यालयों को स्थाई प्रस्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी हैं ये महाविद्यालय निम्नवत हैः–

1. बिनोद बिहारी महतो, महाविद्यालय, धनबाद – कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय
2. कालुराम मोदी मेमोरियल वनांचल महाविद्यालय, गिरिडीह–कला,विज्ञान, वाणिज्य संकाय
3. जे० पी० कुशवाहा, इंटर महाविद्यालय ऑफ कम्पीटेंस, गिरिडीह– कला, वाणिज्य
4. छोटानागपुर महाविद्यालय, हेंसल, सिंहभूम– कला, विज्ञान, वाणिज्य
5. श्यामा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज, खासमहल, सिंहभूम– कला, विज्ञान, वाणिज्य

6. डुमरी इंटर महाविद्यालय, डुमरी, गुमला– कला संकाय वाणिज्य संकाय में प्रस्वीकृति की अनुशंसा

7. मधुसुदर लाल अग्रवाल महिला महाविद्यालय– कला, विज्ञान

8. टाना भगत महाविद्यालय, घाघरा, गुमला – कला, वाणिज्य

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इन सभी महाविद्यालयों को स्थाई प्रस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाय। डुमरी इंटर महाविद्यालय, डुमरी, गुमला को कला संकाय में स्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा की जाय एवं वाणिज्य संकाय में अस्थाई प्रस्वीकृति की अनुशंसा इस शर्त्त पर करने हेतु निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय प्रबंधन सुरक्षा कोष की शेष राशि 25,000/– (पचीस हजार) परिषद् में जमा करा दें।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इंटर महाविद्यालय प्रबंधकों को यह निदेश दिया जाय कि वे अपने कॉलेज के नाम के साथ इंटर शब्द अवश्य जोड़े एवं शपथ पत्र परिषद् में दाखिल करें कि इंटर महाविद्यालय को डिग्री महाविद्यालय नहीं बनायेंगे।

3. समिति के समक्ष 05 इंटर महाविद्यालयों को स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। ये महाविद्यालय निम्नवत् हैः–

   1. चौपारण महाविद्यालय, बरही, हजारीबाग
   2. महिला महाविद्यालय, कोडरमा
   3. एम० एन० मेमोरियल महाविद्यालय, चिरकुंडा, धनबाद
   4. वनांचल महाविद्यालय, चुटिया, राँची
   5. डेफोडिल्स महिला महाविद्यालय, वारीडीह, जमशेदपुर

उपर्युक्त महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, कोडरमा को छोड़कर शेष सभी महाविद्यालय को स्थापना अनुज्ञा प्रदान करने की अनुशंसा की गयी। महिला महाविद्यालय, कोडरमा के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जबतक इस महाविद्यालय का संचालन किसी निजी भवन में या किराये के भवन में नहीं होता है तबतक इसके स्थापना अनुज्ञा देने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

4. समिति के समक्ष परिषद् के सामान्य बैठक दिनांक 20.10.2003 के निर्णय के आलोक में छः महाविद्यालय की प्रस्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। ये महाविद्यालय, निम्नवत हैः–

(क) कस्तुरबा इंटर महाविद्यालय, हजारीबाग – इस महाविद्यालय को नियमानुसार पर्याप्त भूमि, नहीं रहने के कारण समिति के द्वारा भूमि संबंधी शर्त्त पूरा करने के शर्त्त पर अगले दो सत्र 2004–2006 एवं 2005–2007 सत्रों के लिए अस्थायी प्रस्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

(ख) सोहनलाल आर्य, इंटर महाविद्यालय, तुपकाडीह, बोकरो – इस महाविद्यालय के भूमि और भवन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समिति के दो सदस्य (1) प्रो० दुखा भगत एवं (2) डॉ० दिनेशानन्द गोस्वामी इस महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इन दोनों सदस्यों के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ही इस महाविद्यालय की प्रस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(ग) नोवामुण्डी महाविद्यालय, नोवामुण्डी – इस महाविद्यालय को कला एवं वाणिज्य संकाय में अगले दो सत्र 2004–2006 एवं 2005–2007 के लिए अस्थायी प्रस्वीकृति की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

(घ) मौलाना आजाद महाविद्यालय, राँची – यह महाविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री संबद्ध महाविद्यालय है। इंटर, कला एवं वाणिज्य का संबद्धन इस महाविद्यालय को राँची विश्वविद्यालय/बिहार सरकार द्वारा बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व दिया गया है। इस तरह के महाविद्यालय में अतिरिक्त संकाय चलाने की अनुमति समिति इस शर्त्त पर देती है। कि महाविद्यालय द्वारा विज्ञान संकाय में सुरक्षा कोष की अवशेष राशि 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) परिषद् में जमा करें।

प्रस्वीकृति समिति यह अनुशंसा करती है कि यह एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय है। विज्ञान संकाय के निम्नांकित विषय– भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित में कक्षा चलाने के लिए सत्र 2004–2006 से अनुमति दी जाय।

(ङ) आदिवासी इंटर महाविद्यालय, ललमटिया, गोड्डा – इस महाविद्यालय को विज्ञान संकाय में अगले दो सत्रों 2004–2006 एवं 2005–2007, विषय भौतिकी, रसायन, गणित के लिए प्रस्वीकृति की अनुशंसा इस शर्त्त पर करने का निर्णय लिया गया कि सुरक्षा कोष की राशि 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) रुपये परिषद् कार्यालय में जमा करें।

(च) इडेन कॉलेज, बोरया, राँची – इस महाविद्यालय के पास भूमि भवन अपना नहीं रहने के कारण महाविद्यालय को प्रस्वीकृति प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

5. समिति के समक्ष बीर कुंवर सिंह कॉलेज, गोड्डा में विज्ञान और वाणिज्य संकाय में प्रस्वीकृति का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया। इस महाविद्यालय को पूर्व में कला संकाय में प्रस्वीकृति प्राप्त है।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाय और निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

6. परिषद् के समक्ष झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज, हजरीबाग – के नाम के परिवर्त्तन में संबंधित बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना की अनुशंसा के कार्यान्वयन करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में इस महाविद्यालय का नाम परिवर्त्तन करने पर सहमति दी जाय। इस महाविद्यालय का नाम झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज के स्थान पर आर० पी० गांधी इंटर कॉलेज, कोडरमा होगा। इसकी सूचना राज्य सरकार को भेजी जाय।

7. समिति के समक्ष रण विजय स्मारक इंटर महाविद्यालय, चास, बोकारो में कला संकाय में पूर्व से प्रस्वीकृत विषय के अतिरिक्त लोक प्रशसन, श्रम एवं समाज, कल्याण, गृह विज्ञान की शिक्षण प्रारंभ करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

समिति के समक्ष सम्पति राम लोहारिका ग्रामीण इंटर महाविद्यालय, कनवारा गोड्डा में विज्ञान संकाय की प्रस्वीकृति की अनुशंसा करने का प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया।

इस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में प्रस्वीकृति की अनुशंसा बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना के द्वारा बिहार सरकार को की गयी थी।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस महाविद्यालय को अगले दो सत्रों 2004–2006 एवं 2005–2007 के लिए विज्ञान संकाय में प्रस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाय।

हा/–
(शालिग्राम यादव)
अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची